ज्ञान तत्व 204

(क) लेख– खाप पंचायते और ऑनर किलिंग

(ख)पेंट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि एक ,सराहनीय कदम

(ग) अन्धा बांटे रेवड़ी, घूम घूम अपनों को देय –इसमें सरकार द्वारा टैक्स वसूली कर अपनी मर्जी अनुसार खर्च करने की आलोचना की गयी है

(घ)मुआवजे की राजनीति –छ0ग0 शासन द्वारा हाथी द्वारा मरने पर 1.5 लाख एवं भोपाल में गैस पीड़ितों को दस लाख से अधिक मुआवजा हेतू कहना व्यक्ति व्यक्ति में अंतर करता है

(च) बंगाल में साम्यवाद का पतन या ममता उत्थान

(छ) गांधी के नाम पर अरून्धती राय द्वारा हिंसा का समर्थन

(ज) खेलों में शरद पवार का व्यावसायिक दृष्टिकोण

(झ) श्री श्री रविशंकर जी की सस्ती लोकप्रियता

(ट) पत्रोत्तर कृत्रिम उर्जा पर

(ठ) पत्रोत्तर – दुनिया में ऐसी बात कोई नहीं कह रहा

(ड) पत्रोत्तर– कर प्रणाली समीक्षा

(ढ) पत्रोत्तर – इंडरसन संबंधी लेख पर

(त) काश इंडिया. काम तथा 25दिसम्बर से 01जनवरी तक के रामानुजगंज कार्यक्रम की सूचनायें

क खाप पंचायते और ऑनर किलिंग

वर्तमान भारत में तीन समस्याएँ विकराल स्वरूप ग्रहण करती जा रही हैं (1.)बलात्कार वृद्धि (2.) परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था को तोड़ने की राज्य व्यवस्था की जल्दबाजी (3.) राज्य व्यवस्था के विरूद्ध समाज में बढ़ती हिंसक भावना।

असहमत सेक्स को बोलचाल की भाषा में बलात्कार कहते हैं। भूख और भोजन के समय में दूरी अव्यावहारिक तरीके से बढ़ाते जाने की मूर्खता से परिवार का कोई सदस्य छिपकर होटल में नास्ता करता है और यदि होटल भी उपलब्ध न हो तो चोरी करके या छीन कर खाता हो तो यह उस व्यक्ति के साथ साथ व्यवस्थापक की भी भूल मानी जाती है। स्त्री पुरूष संबंधों में भूख तो पुराने जमाने की अपेक्षा एक दो वर्ष जल्दी लगने लगी और विवाह की उम्र लगातार बढ़ाने का प्रयत्न हुआ तो अनैतिक सेक्स स्वाभाविक मजबूरी हो जाती है। यदि नासमझ कानून निर्माता वैश्यावृत्ति पर भी रोक लगा दे तो बलात्कारों में वृद्धि उसका स्वाभाविक परिणाम है। बलात्कार वृद्धि के कारणों में युवा शक्ति में सेक्स इच्छाओं का समय पूर्व विकसित होना भी एक कारण है किन्तु विवाह की उम्र को लगातार बढ़ाते जाना तथा चोरी से पूर्ति के माध्यम अर्थात् वैश्यालयों पर प्रतिबंध भी महत्वपूर्ण कारण हैं। यदि ऐसे सामाजिक संकट काल में असहमत स्त्री पुरूषों के बीच की दूरी कम करने की मूर्खता भी जुड़ जावे तो बलात्कार की घटनाओं में बहुत तेज वृद्धि होती है और ऐसी ही वृद्धि आज भारत में दिख रही है। शिथिल इन्द्रिय चरित्रवान बूढ़े युवा चरित्र की सुरक्षा का कानून बनाने में लगे हैं तो दूसरी ओर कुछ जवान राजनीति के उच्च पदों पर बैठकर महिला पुरूष के बीच की दूरी को लगातार कम करने का खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी अब तक बलात्कार की घटनाएँ

अनियंत्रित नहीं हुई हैं यह भारतीय समाज व्यवस्था के अवशेषों का ही प्रभाव है अन्यथा राजनेताओं ने तो अपनी ओर से स्थिति को भयावह बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। स्वच्छन्द सेक्स सहमत लोगों के बीच विभिन्न कानूनों द्वारा दूरी बढ़ाना और स्वच्छन्द सेक्स असहमत लोगों के बीच दूरी घटाने के प्रयत्न किसी भाडयंत्र के अन्तर्गत जानबूझकर हो रहे हैं अथवा भूलवश ये तो राजनेता ही बता सकते हैं किन्तु इन प्रयत्नों के परिणाम बढ़ते बलात्कारों के रूप में समाज को भुगतने पड़ रहे हैं यह बात पूरी तरह सच है।

परिवार व्यवस्था तथा समाज व्यवस्था को तोड़ने के लिये राज्य व्यवस्था बहुत उतावली दिख रही है। राज्य, धर्म और समाज की अलग अलग सीमाऍं हैं। तीनों एक दूसरे के उसी तरह पूरक और नियंत्रक होते हैं जिस तरह राज्य व्यवस्था में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। साम्यवादी व्यवस्था में राज्य सर्वोच्च होता है तो इस्लाम में धर्म। भारतीय व्यवस्था में समाज सर्वोच्च होता है। भारत की वर्तमान राज्य व्यवस्था धर्म जाति के साथ तो समझौता कर रही है किन्तु समाज व्यवस्था के स्वाभाविक अंग परिवार गॉव व्यवस्था को पूरी तरह गुलाम बनाकर रखना चाहती है। हरियाणा या पूर्वी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायते ऐसी समाज व्यवस्था के टूटे फूटे अवशेष के रूप में हैं। सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था खाप पंचायतों की एक भूल का लाभ उठाकर उस व्यवस्था को ही समाप्त करने पर तुली है क्योंकि राज्य व्यवस्था यह बरदाश्त नहीं कर सकती कि उसके अतिरिक्त भी समाज में कोई स्वतंत्र सोच विकसित हो। किसी विवाह के लिये आदर्श स्थिति वह होती है जिसमें लड़के लड़की की स्वीकृति ,परिवार की सहमति तथा समाज की अनुमति आवश्यक हो। अवयस्क विवाह में तो परिवार ही स्वीकृति देता था किन्तु वयस्क विवाह में लड़के लड़की की स्वीकृति मान्य परंपरा बन गई है। दो की स्वीकृति और सहमति के बाद समाज की मौन अनुमति की परंपरा है। यदि इन तीनों में तालमेल न हो तो ऐसा विवाह या तो नहीं होता अथवा प्रेम विवाह के रूप में स्वीकार किया जाता है। सहमत सेक्स दो व्यक्तियों का मूल अधिकार है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत उनकी सहमति के बिना न रोक सकती है न बाधा उत्पन्न कर सकती है। यदि सहमत सेक्स में किसी भी प्रकार से बल पूर्वक बाधा उत्पन्न की जाती है तो वह अपराध है। फिर भी ऐसे सहमत सेक्स पर परिवार और समाज का अंकुश आवश्यक है भले ही उसमें बल प्रयोग शामिल न हो। ना समझ राज्य व्यवस्था ने ऐसे पारिवारिक सामाजिक अनुशासन के विरूद्ध युवा जोड़ो को प्रोत्साहित करना शुरू किया तो दूसरी ओर परिवार और समाज यह भूल गया कि अनुशासन में बल प्रयोग का कोई स्थान नहीं है। अंग्रेजों के पूर्व तो विवाह पूरी तरह परिवार और समाज व्यवस्था के विषय थे। राज्य की उसमें कोई भूमिका नहीं होती थी। प्रेम विवाह भी होते थे और ऐसे परिवार या समाज से असहमत विवाहों में भी सामाजिक बहिष्कार से आगे कोई दण्ड संभव नहीं था। अंग्रेजो ने अपने शासन काल में विवाह में परिवार और समाज के साथ साथ अपना भी कानून घुसाना शुरू किया । हमारे काले अंग्रेज नेहरू अम्बेडकर आदि तो विवाह पद्धति पर अपना एकाधिकार जमाने के लिये इतने उतावले थे कि उन्हें परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था को जीवित देख देख कर रात को नींद नहीं आती थी। दोनों ने तरह तरह के षडयंत्र करके समाज व्यवस्था परिवार व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की। इन दोनों ने मिलकर एक हिन्दू कोड बिल जबरदस्ती समाज पर थोप दिया। इन्होंने मिलकर समाज में एक ऐसी राजनैतिक संस्कृति विकसित की जिसमें परिवार और समाज को अपने बच्चें के बालिग होने के बाद अनुशासन का कोई अधिकार रहा ही नहीं। यदि बच्चे बालिग होते ही स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दे तब भी परिवार और समाज न उन्हें रोक सकता है न बहिष्कृत कर सकता है। परिवार की सम्पत्ति में लड़की के अधिकारों को इस प्रकार शामिल किया गया जैसे कि बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया गया हो। किसी एक्सीडेंट में एक व्यक्ति का नाक कट गया तो उसने प्रसन्न होने का इतना नाटक और प्रचार किया कि उसे भगवान के दर्शन हो गये। वह प्रचार कर कर के ऐसे भगवान दर्शकों की टीम

बनाने में जुट गया। अब तो उसके जाने के बाद हर राजनेता को समाज व्यवस्था परिवार व्यवस्था को तोड़ने में ही भगवान का दर्शन होने लगा है। सबसे पहले सहमत सेक्स को अपराध कहने का अपराध इन राजनेताओं ने किया है। इनके पहले ऐसे विवाह में शारीरिक दण्ड या हत्या का रिवाज नहीं था। हिन्दू कोड बिल बनाकर इन्होंने बाल विवाह को दण्डनीय अपराध घोषित किया और सगोत्रीय विवाह को भी । इन नेताओं ने ही हिन्दू कोड बिल में लिखा कि कितनी पीढ़ी तक के सगोत्रीय विवाह मान्य होंगे और कितने नहीं। अमान्य विवाह को दण्डनीय अपराध माना गया। ऐसा लगा जैसे सम्पूर्ण समाज के ठेकेदार दो ही लोग रहे। इन्होंने पांच पीढ़ी घोषित कर दी तो आज तक वही हमारे लिये पत्थर की लीक है। यदि ये दोनों दस पीढ़ी लिख देते या दो पीढ़ी भी लिख देते तो उन्हें अधिकार था और हमें कुछ कहने का ही अधिकार नहीं।

किसी भी व्यक्ति को प्रेम विवाह करने का पूरा पूरा स्वतंत्र अधिकार है चाहे वह सगोत्र ही क्यों न हो। परिवार या समाज ऐसे विवाह को अमान्य और बहिष्कृत तो कर सकता है किन्तु दण्डित नहीं। आनर किलिंग के नाम पर की जाने वाली हत्याएँ पूरी तरह अपराध हैं और दण्डनीय हैं किन्तु ऐसे प्रेम विवाहों को प्रोत्साहित करना भी असामाजिक कार्य है। आजकल भारत में लगातार तीव्र गति से बढ़ रही आनर किलिंग की घटनाओं का एक कारण ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन में भी देखा जाना चाहिये। मेरा लड़का या लड़की अठारह वर्ष तक परिवार के अनुशासन और खर्चे पर पढ़ लिखकर बड़े हुए। बालिग होते ही उन्होंने अपने को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऐसे अमानवीय कृत्य के बाद भी परिवार उस लड़के या लड़की का बहिष्कार नहीं कर सकता क्योंकि नेहरू अम्बेडकर के कानून में उनका पैतृक सम्पत्ति में भी अधिकार बना रहेगा। विचार करने की बात है कि ऐसा गलत कानून आज तक जबरदस्ती हम पर थोपा हुआ है। समाज और परिवार के लोग इसका कोई समाधान तो सोच नहीं पा रहे क्योंकि दोनो नेताओं ने मिलकर एक किताब लिख ली और उस किताब को संविधान कहकर हमारे उपर सदा सदा के लिये थोप दिया। उस किताब में संशोधन भी अब उन्हीं की बिरादरी कर सकती है, दूसरी नहीं। दूसरी ओर लगातार समाज में हिंसा का वातावरण बनाया जा रहा है। एक तरफ समाज मे हिंसा का वातावरण बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ समाज में प्रेम विवाहों को महिमा मंडित किया जा रहा है। बीच में मारे जा रहे हैं युगल जोड़े जिन्होंने अपनी भावनाएँ अनियंत्रित होने से परिवार का समाज का अनुशासन भंग कर दिया और वे इसके लिये स्वयं को दोषी भी मानते हैं तथा यदि कोई सामाजिक व्यवस्था में दण्ड प्रावधान भी हो तो मान लेंगे। किन्तु राजनेता उन्हें भूल मानने नहीं देते और परिवार या समाज कोई दण्ड की व्यवस्था नहीं करता। मेरे विचार में किसी आनर किलिंग के मामले में अपराधी परिवार जनों के साथ साथ दोनों पक्षों के प्रोत्साहक समूहों को भी दण्डित करना चाहिये जिनमें एक पक्ष तो वह हो जो ऐसी हत्या का खुला समर्थक हो तथा दूसरा वह जो ऐसे परिवार समाज व्यवस्था के विरूद्ध प्रेम विवाह को प्रोत्साहित करता हो। जो न्यायाधीश या राजनेता कानून से भी आगे जाकर ऐसे प्रेम विवाहों को महिमा मंडित करे उसे तो अवश्य ही दण्ड देना चाहिये क्योंकि परिवार का कोई सदस्य अनुशासन भंग करे और पड़ोसी उससे मजा ले तो यह तो जले पर नमक छिड़कने जैसा ही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिये कि कहीं उनकी सोच परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था को कमजोर करने में राजनेताओं की सहायक तो नहीं बन रही।

हमारे राजनेताओं की दो मुँही नीतियों की भी समीक्षा करनी आवश्यक है। यदि एक सांसद दल का अनुशासन भंग करे तो उसे दल के सभी अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। राजीव गांधी ने तो यहॉ तक समाज के साथ धोखा किया कि हमारे बहुमत से चुने हुए सांसद को भी दलीय अनुशासन भंग के कारण संसद सदस्यता छोड़नी होगी। चुना है सांसद को हमने और अनुशासन का कठोर डंडा दल का।

कोई मंत्री मंत्रिमंडल में रहते हुए प्रधानमंत्री के विरूद्ध यदि कुछ कह दे तो अनुशासन भंग। मेरा लड़का परिवार में रहते हुए स्वतंत्र विवाह कर ले तो मेरा कोई अनुशासन नहीं। क्या कमाल का कानून है। कोई भी नेता या न्यायालय यह बताने के लिये तैयार नहीं कि परिवार समाज और राज्य के अपने अपने अधिकारों की सीमाऍं क्या हैं? यदि हमारे पुराने नेताओं को ऐसी सीमा आवश्यक नहीं दिखी तो अब तो ऐसी सीमाऍं बनाओं और बताओं। मैं चुनौती देता हूॅं कि परिवार और समाज के किसी अधिकार को इन्होंने मान्यता ही नहीं दे रखी है। मैं कुछ दिन पहले टीवी में अभिज्ञान प्रकाश या पंकज पचौरी के साथ खाप पंचायतों पर विवेचना सुन रहा था। दो महिला नेता और दो पुरूष नेताओं के साथ एक जाट जाति प्रमुख जलील हो रहा था। ये चारों उस बेचारें पर चढ़े जा रहे थे। कुछ प्रेमी जोड़े भी बीच बीच में छींटा कशी करते थे। उस जाट नेता ने एक कीमती प्रश्न किया कि समाज के लिये संविधान है या संविधान के लिये समाज। किसी नेता के पास उत्तर नहीं था। पंकज पचौरी या अभिज्ञान प्रकाश ने उस जाट को दूसरी दिशा देने की कोशिश की। सब निरूत्तर थे। उस जाट नेता ने कहा कि हम खाप पंचायत के लोग कानून में संशोधन की मांग करते हैं। उस बेचारे को यह बात भी स्पष्ट नहीं करने दी गई। पंकज पचौरी और अभिज्ञान प्रकाश भी एक पक्षीय रूप से उस जाट के साथ अत्याचार कर रहे थे। कुछ व्यक्तियों ने आनर किलिंग के समर्थन में बयान दे दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिन लोगों ने प्रेम विवाह को महिमा मंडित किया उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। एक परिवार अपने बच्चों को प्रेम विवाह नहीं करने देता। आप उस परिवार को समझाने की जगह बच्चों को उकसा रहे हैं। यदि उन बच्चों की हत्या होती है तो हत्या करने वालों के साथ आप दोषी क्यों नहीं? क्या इसलिये कि आप समाज व्यवस्था परिवार व्यवस्था को गुलाम बनाने वालों में शामिल हैं? खाप पंचायतों को दण्डित करने का कोई अधिकार नहीं है और राजनेताओं को भी समाज व्यवस्था परिवार व्यवस्था को तोड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

खाप पंचायतों का विवाद प्रेम विवाह से अलग है। खाप पंचायतें जो सरकार पर भाई बहन के विवाह का आरोप लगाती हैं वह असत्य है। कानून में भाई बहन का विवाह वर्जित है। खून के संबंध में विवाह पर रोक है। अन्तर यह है कि कानून सिर्फ पिता की पांच पीढी और माता की तीन पीढ़ी तक सगोत्र मानता है तो खाप पंचायत उससे अधिक पीढ़ियों को सगोत्र मानती हैं। खाप पंचायतें अपने गांव की सभी जातियों के लड़के लड़कियों को भाई बहन मानकर सगोत्र व्यवहार करते हैं जो सरकार के कानून में नहीं है। मेरे विचार से विवाह या तो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है या परिवार का और समाज का। खाप पंचायत समाज का स्वरूप है। ये जाट बहुल गांवों में हैं किन्तु अन्य जातियों को भी शामिल करती हैं। यदि व्यक्ति परिवार गांव के अधिकारों की सीमाऍं स्पष्ट हों तो ये विवाद नहीं होंगे। सरकार तो इसमें कोई पक्ष है ही नहीं। उसे न तो गोत्र या सपिण्ड की कोई परिभाषा बनानी चाहिये थी न ही पालन कराना था। पंचायतें, परिवार, समाज समझा बुझाकर जिस तरह चलाती वह ठीक था । चाहे तीन पीढ़ी या पांच पीढ़ी या दस पीढ़ी। राज्य ने हस्तक्षेप करके अनावश्यक विवाद कर दिया। खाप पंचायतों को भी समझा बुझाकर ही अनुशासन कायम कराना चाहिये, तालिवानी फर्मान से नहीं।

अब विचार करने का समय आ गया है कि परिवार, राज्य, समाज और व्यक्ति के अधिकारों की सीमाऍं क्या हों और सामंजस्य कैसे हो । राज्य की भूमिका डाक्टर से अधिक नहीं जो बीमारी के समय सक्रिय हो और सामान्यतया हस्तक्षेप न करे । समाज में महिला पुरूष के आपसी संबंध कैसे हो यह या तो समाज के सोचने का विषय है या परिवार के सोचने का किन्तु राज्य तो बेमतलब उसमें दखल देता है । जब तंत्र से जुड़े लोगों के अपने चरित्र का औसत समाज के चरित्र के औसत से बहुत अधिक नीचे दिखता हो तब तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से चुप रहना चाहिये । स्त्री पुरूष संबंधों पर विचार करने के पूर्व ऐसे

लोगों को अपनी बिरादरी के औसत चरित्र की समीक्षा करनी चाहिये । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राज्य से जुड़े लोगों के सर्वांगीण चरित्रपतन का दुष्प्रभाव समाज पर पड़ रहा है न कि समाज का राजनीति पर । फिर भी ये लोग न मानते हैं न समझते हैं । इसलिये अब समय आ गया है कि समाज सशक्त होकर कह दे कि परिवार समाज व्यक्ति और राज्य के अधिकारों की सीमाएँ तय हों तथा सभी अपनी अपनी सीमाओं में रहने की आदत डालें ।

मेरा स्पष्ट मत है कि खाप पंचायतें अपने आक्रामक स्वरूप को छोड़ें जिससे तंत्र को अनावश्यक हस्तक्षेप का बहाना न मिले । साथ ही तंत्र भी परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था को सम्मान देते हुए प्रेम विवाह, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों से खिलवाड़ न करें । संभव है कि इससे टकराव कम होने में मदद मिलेगी ।

प्रेस विज्ञप्ति

ख पेंट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि एक ,सराहनीय कदम

ज्ञान यज्ञ परिवार के संरक्षक तथा प्रसिद्ध विचारक बजरंग मुनि जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए, कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि को सराहनीय किन्तु अपर्याप्त बताते हुए कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह जी ने गजब की हिम्मत दिखाते हुए पेट्रोल डीजल मट्टी तेल रसोई गैस की मूल्य वृद्धि कर दी । भारत के सभी विपक्षी दल तथा सम्पूर्ण मध्यम ओर उच्च वर्ग इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ छाती पीट पीट कर चिल्लायेगा । स्वाभाविक ही है कि इनके प्रभाव के कारण कमजोर वर्ग भी धोखा खा जाय । किन्तु किसी की परवाह न करते हुए सरकार ने उचित कदम उठाने की हिम्मत दिखा ही दी।

विदित हो कि सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ साथ मिट्टी तेल और रसोई गैस के भी दाम बढा दिये है । पिछले सात वर्षो से डीजल पेट्रोल के मूल्य मुद्रा स्फीति के आधार पर भी संशोधित नही हो पा रहे थें क्योकि साम्यवादियो ने भारत सरकार को बंधक बना रखा था। और डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि का खाडी देशो पर विपरित प्रभाव पडने से साम्यवादी विशेष दुखी होते ही हैं। अब भी सरकार सात वर्ष पूर्व के मूल्य समान करने की हिम्मत नही दिखा सकी है क्योकि यदि उस आधार पर समान किया जाता तो पंद्रह –बीस प्रतिशत तक और बढने चाहिये थे।

पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि डीजल, पेट्रोल, विजली, गैस, किरासन,कोयला के महंगे होने से उच्चवर्ग मध्यम वर्ग प्रभावित होता है क्योकि इससे श्रम की मांग बढती है और मूल्य भी । इससे कृषि उत्पादन भी मंहगा होगा और आवागमन भी । ये सारी स्थितियॉ उच्च मध्यम वर्ग के लिये घातक है तो गरीब ग्रामीण श्रमजीवी छोटे किसान के लिये लाभदायक ।पहले वर्ग की आय घटेगी खर्च बढेगा तो दूसरे वर्ग की आय बढेगी खर्च घटेगा । यदि डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि नही होती तो सरकार का कुछ विगडना नही था। वह डीजल पेट्रोल बिजली की जगह दाल चावल गेहु लकडी साइकिल पर कोई टैक्स बढाकर घाटा पूरा कर लेती । इन सब पर टैक्स बढाने से उच्च मध्यम वर्ग को कोइ चिन्ता नही होती । आप टी.वी. खोलिये तो कार चला रहा आदमी या रसोई गैस वाली मोटी महिला बजट विगडने का रोना रोते मिलेगे । रिक्शा वाला या हल जोतने वाले से टीवी वाल पूछेगे ही नहीं। अब यह स्थिति पूरी तरह बदलनी चाहिये।

धन्यवाद देते हुए भी मै कह सकता हूँ कि सरकार की नीयत ठीक नही है। यदि नीयत ठीक होती तो डीजल पेटोल बिजली किरासन तेल कोयला गैस आदि की भारी मूल्य वृद्धि करके पूरी राशि गरीबी रेखा से नीचे वालों मे बराबर बराबर नगद बांट देती तो सरकार को गरीब जनता में भगवान के समान पूजा जाता । फिर भी सरकार ने विपरीत वातावरण मे भी जो हिम्मत दिखाई उसके लिये वह बधाई की पात्र है।

ग <u>अन्धा बांटे रेवड़ी, घूम घूम अपनों को देय</u>

आज कल भारत सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। सरकारी खजाने में एक लाख करोड़ रूपये तो थ्रीजी टू जी स्पेक्ट्रम नीलामी से ही प्राप्त हो गये। पांच हजार करोड़ रूपये अकेले आंध्र प्रदेश सरकार को सिर्फ शराब ठेके की नीलामी से मिले हैं। पूरे भारत में तो यह राशि भी बहुत अधिक हो जायेगी। अप्रत्याशित आय से पूरी सरकार और उससे जुड़े लोग बम बम हैं।

सरकार को अप्रत्याशित भारी आय हुई है इससे हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। ऐसा मत सोचिये कि भारत सरकार और प्रदेश सरकारों का खजाना भरा है तो आपके रोटी कपड़ा, मकान, दवा पर टैक्स वसूलना सरकार बन्द कर देगी या कम कर देगी। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान को इसकी जूठन भी मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिये । हम आप सब तो चूहे हैं । जब तक हाथियों का पेट नहीं भर जाता तब तक चूहों से टैक्स वसूली कम नहीं की जा सकती । इतना संभव है कि जूठन स्वरूप कुछ दान की रकम और बढ़ा दे ।

हमारे भारत में करीब दो प्रतिशत लोग तंत्र से जुड़े हैं और शेष अठान्नवे प्रतिशत लोक कहे जाते हैं । दोनों को मिलाकर ही लोकतंत्र कहा जाता है । लोक, तंत्र को नियुक्त तो कर सकता है किन्तु नियंत्रित नहीं । गांधी के मरते ही तंत्र ने संविधान नामक अपनी किताब में लिख लिया कि तंत्र शासक होगा और लोक शासित जबकि गांधी जी तंत्र को मैनेजर और लोक को मालिक कहना चाहते थे । गांधी के मरते ही संविधान ने उन्हें गवर्नमेंट बना दिया । अब लोक का काम है देना और तंत्र का काम है लेना। लोक वोट देगा और तंत्र लेगा । लोक कर देगा और तंत्र लेगा । लोक से कितना कर लेना है यह तंत्र तय करेगा, लोक नहीं कर सकता क्योंकि लोक ने तो वोट देकर तंत्र को अपना गवर्नमेंट घोषित कर दिया। अब लोक का काम पांच वर्ष के लिए खतम ।

तंत्र के भी तीन भाग हैं (1)विधायिका(2)न्यायपालिका(3)कार्यपालिका। लबालब खजाने को देखकर तंत्र से जुड़े तीनों अंगों ने बड़ी बड़ी योजनाएँ बना ली हैं । न्यायपालिका ने अपने सभी न्यायाधीशों का वेतन एकाएक दुगना से लेकर तीन गुना तक कर दिया है । इतना ही नहीं उन्हें आभास हुआ कि सरकारी खजाना बहुत भरने वाला है तो यह वेतन वृद्धि तीन चार वर्ष पूर्व से ही लागू कर दी गई । कार्यपालिका का वेतन कई गुना बढ़ा ही दिया गया है । विधायिका ने भी अपने लोगों की एक कमेटी बना दी जो यह तय करेगी कि वर्तमान हालातों में सांसद विधायक किस सीमा तक वेतन ले सकते है । कमेटी ने सिफारिश की है कि सांसदों विधायकों के वेतन को कम से कम पांच गुना तक बढ़ाया जा सकता है । सिफारिश का अर्थ यह था कि जब न्यायपालिका कार्यपालिका के वेतन भत्ते में दो से तीन गुने की वृद्धि हुई है तो विधायिका का पांच गुने से कम उचित नहीं होगा । भारत की जनता इतनी सहनशील है कि वह इतनी मामूली वेतन वृद्धि स्वीकार कर ही लेगी । इसका आशय यह है कि खजाने में लबालब भरने वाली रकम

को कम करने की पूरी योजना बन चुकी है और लोक के हिस्से में कितनी जूठन बचेगी यह बाद में पता चलेगा । शायद कुछ भी न बचे ।

भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहॉ तंत्र अपना वेतन किस सीमा तक बढ़ा सकता है उसकी कोई सीमा नहीं बनी है । हमारा वेतन भोगी अपना वेतन चाहे जितना तय कर ले उस कमेटी में लोक का एक भी सदस्य नहीं होगा क्योंकि हमारे वेतन भोगी ही हमारे प्रतिनिधि भी है । वे जितना भी वेतन तय करेगें उतना लोक देने के लिये बाध्य है । यह है भारत का कानून और संविधान । आज भारत में सरकारी आंकड़ो के अनुसार गरीबी रेखा अर्थात बीस रूपया प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति से भी नीचे जीवन जीने वालों की संख्या कुल आबादी की करीब आधी है । इस आबादी के अपनी जमीन के उत्पादन और उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स घटाने की पहल लबालब भरा खजाना नहीं कर सकता । इसके विपरीत छत्तीसगढ दिल्ली सहित कई सरकारों ने तो ग्रामीण गरीब श्रमजीवी किसान के उत्पादन उपभोग के अनाज कपड़ा दवा आदि पर वेट रूपी टैक्स बढ़ाने की योजना घोषित की है । गंभीर चिन्ता का विषय है कि कितना गुना वेतन हो कि हाथी का पेट भरे और चूहे रूपी गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान के अपनी जमीन के उत्पादन और उपभोग की वस्तुऍ कर मुक्त हों । हम लोक हैं और हम तो प्रति पांच वर्ष में रेवड़ी बांटने का जिम्मा अन्धों को देने को मजबूर हैं । अब यदि वह घूम घूम कर अपनों को ही देता है तो इसमें दोष किसका ?

घ मुआवजे की राजनीति

छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमणसिंह जी उन मुख्यमंत्रियों में शामिल माने जाते हैं जिनकी बात का कुछ वजन होता हैं। अभी कल ही उन्होंने अम्बिकापुर सरगुजा जिले में घोषणा की है कि अब सरगुजा जिले में जंगली हाथियों से मरने वाले को डेढ़ लाख रूपया तथा गंभीर रूप से घायल को पचास हजार रूपया मुआवजा दिया जायगा। हमारे क्षेत्र के अखबारों ने भी मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया और राजनेताओं ने भी।

अभी एक सप्ताह पूर्व ही हमारे भाजपा नेताओं ने भोपाल गैस कांड में मरने वालों को स्वीकृत दस लाख रूपया के मुआवजा को अपर्याप्त बताया था। यही नही इन सबने आंदोलन भी किया था। भारत के सभी अखबारों और न्यूज चैनल्स ने अभियान चलाकर भोपाल गैस दुर्घटना के मुआवजे की तुलना अमेरिका गैस रिसाव से करते हुए लिखा था कि अमेरिकी नागरिक और भारतीय नागरिक में इतना अंतर क्यों? हमारी केन्द्रीय मंत्रियों की टीम भी भोपाल गैस कांड के लिये दिल खोलकर सरकारी धन बांटने को तैयार दिखी। मैं समझ नही सका कि सरगुजा के हाथी द्वारा मारे गये किसान के लिये डेढ़ लाख ही क्यों? भारत के किसी मीडिया मानवाधिकार ने इस मुआवजे को अपर्याप्त क्यों नहीं कहा ? भोपाल गैस कांड एक दुर्घटना थी जिसके लिये सरकार बंधी हुई नहीं थी किन्तु जंगली हाथी का आक्रमण कोई प्राकृतिक दुर्घटना नही थी बल्कि शासन संरक्षित जीव का अपराध था जिसे हम मार नहीं सकते भले ही मर जावे। आपके संरक्षित जीव द्वारा किये गये अपराध से हुई हत्या का मुआवजा डेढ़ लाख और उसके बाद भी चुप्पी दूसरी ओर भोपाल गैस में मरने वालों को मुआवजा दस लाख और उसके बाद भी दस तरह का नाटक। यदि हम ओबामा से बराबरी का प्रश्न उठा रहे है तो रमण सिंह जी से वही प्रश्न क्यों नही? मुआवजा देते समय कुछ विचार तो करना चाहिये कि यदि समान घटना में एक आदमी प्रभावित हो तो मुआवजा कितना और सौ हों तो कितना। मै स्पष्ट देख रहा हूॅ कि यदि किसी घटना में एक मरा तो मुआवजा एक लाख और वैसी ही घटना में पचास मरे तो प्रत्येक को तीन तीन लाख। क्योंकि पचास मरे तो उसमें मीडिया मानवाधिकार, समाजसेवी, परजीवियों का हाथ जुड़ जाता है। हमें इसी तरह यह भी विचारना चाहिये कि कोई गरीब मरे

तब मुआवजा ज्यादा दिया जाय या अमीर मरे तब। अमीर आदमी तो कई तरह के इनस्योरेन्स भी रखता है पर गरीब नहीं रखता है। इसी तरह आपराधिक हत्या का मुआवजा शासन का दायित्व होता है जबकि दुर्घटना में शासन का स्वैच्छिक कर्तव्य। यहा उल्टा हो रहा है। डकैत किसी को मार दे तो शासन मुआवजा के लिये वाध्य नही। हाथी मार दे तो वह सरकारी दया का पात्र है किन्तु बस एक्सीडेन्स रेल एक्सीडेन्ट में मर जाय तो मुआवजा उसका अधिकार है।

मुझे भोपाल गैस प्रकरण में परजीवियों के नाटक और केन्द्र सरकार की चुप्पी ने मजबूर किया कि इस पर सोचना चाहिये। खास कर मीडिया ने सच को छुपाया वह भी विचारणीय विषय था। भाजपा ने आंदोलन किया किन्तु कभी यह नहीं बताया कि उसने गुजरात हत्या कांड या चौरासी के सिख विरोधी हत्याओं में कितना कितना मुआवजा दिया । आज हाथी द्वारा सरगुजा के ग्रामीण की हत्या में भाजपा सरकार द्वारा घोषित मुआवजे ने मीडिया, परजीवी तथा राजनैतिक दलों के नाटक की पोल खोल कर रख दी है।

च नक्सलवाद समर्थक गांधीवादी नहीं बजरंग मुनि

नक्सलवाद पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है । झारग्राम रेल आक्रमण के बाद तो पूरे देश में घृणा का वातावरण बन गया है। रायपुर से दंतेवाडा तक की शान्ति के नाम पर यात्रा निकालने वाले पेशेवर मानवाधिकार कार्यकर्ता भी चुप बैठे हैं। नक्सलवादियों के प्रमुख शुभ चिन्तक दिग्विजय सिंह भी टी.वी. पर नही दिख रहें। राहुल गांधी भी दुबारा सोचन को मजबूर है।

किन्तु अज्ञान वश बार बार एक खबर प्रकाशित होती है कि मानवाधिकार वादियो के साथ गांधीवादी कार्यकर्ता भी नक्सलवाद का समर्थन कर रहे हैं। यह आरोप पूरी तरह गलत है । कोई भी गांधीवादी नक्सलवादी गतिविधियों का किसी भी रूप मे समर्थन नही करता । गांधीवादी और सर्वोदयी अलग अलग होते है दुर्भाग्य से दोनो को एक मान लिया जाता है जबकि दोनो बिल्कुल अलग अलग है।

गांधीवादी नीतियों से लोकस्वराज्य का समर्थक होता है तथा चरित्र से त्याग प्रधान । गांधीवादी अहिंसक होता है किन्तु कायर नहीं । गांधीवादी हमेशा सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का पक्षधर होता है । वह हिंसा का विरोधी होता है चाहे हिंसा साम्यवादी हो या इस्लामिक अथवा संघ परिवार प्रायोजित।कोई भी गांधीवादी कभी शासकीय सम्पत्ति प्राप्त करने की तिकडम नही करता । इनका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत पवित्र होता है।

गांधी जी के नाम पर सर्वोदय संस्थाओ से जुडे कुछ लोंगों के लिये यह आवश्यक नहीं । ये एन .जी ओ चलाकर करोडों रूपया विदेशी धन ले भी सकते है और विदेशी संस्थाओ को गाली भी दे सकते हैं। ये समाज को त्याग का उपदेश भी दे सकते है और स्वयं सस्था की सम्पत्तियों पर अनधिकृत कब्जा भी बनाये रख सकते है । ये अतिवादी अहिंसा का नाम लेकर अतिवादी हिंसा का समर्थन भी कर सकते हैं । ये ब्रम्हचर्य के उपदेश के साथ साथ विवाहित होते हुए भी दूसरी महिला को घर में रख सकते हैं। ये दूसरों को केश मुकदमों से दूर रहने की सलाह देते है और अपनी संस्था के मुकदमें अपने अन्दर न निपटाकर न्यायालय से निपटाते हैं। गांधीवाद इनकी ढ़ाल है, खादी इनका आवरण हैं। वास्तव में इनका गांधीवाद से कोई सम्बन्ध नहीं ।

गुरूशरण जी सिद्धराज जी ढ़ढ़ा गांधीवादी थे । ठाकुरदास बंग जी गांधीवादी है। गांधीवाद की जीती जागती मिसाल मेरठ में खन्ना जी को देखिये। महावीर जी त्यागी, महावीर सिंह जी, ओम प्रकाश दुबे, शरद साधक जी है जो कभी नक्सलवाद के समर्थक नहीं । यदि कोई सर्वोदयी दुहरा आचरण करता हे तो उसके लिये गांधीवादी शब्द का प्रयोग ठीक नहीं । आज तरूण विजय जी ने गांधीवादी शब्द लिखकर भ्रम पैदा किया है मै निवेदन करता हूॅ कि वे भविष्य मे गांधीवादी शब्द की जगह सर्वोदयी शब्द का ही प्रयोग करें।

एक साफ अन्तर समझिये कि गांधीवादी लोकस्वराज्य के लिये निरंतर अहिंसक संघर्ष को प्राथमिकता देता है। अन्य सभी दूसरे कार्य उसके लिये उसके बाद हैं । सर्वोदयी लोक स्वराज्य संघर्ष को सबसे अन्त मे रखता है। उसके उपर वह संघ परिवार विरोध , खादी की दुकानदारी , पूंजीवाद विरोध ,स्वदेशी जागरण ,अमेरिका विरोध विदेशी कम्पनी विरोध , नशा मुक्ति अभियान आदि को रखता है । इतनी सीधी पहचान है कि आप आपसी से अन्तर समझ सकते है । इसलिये अन्तर समझने की आवश्यकता है सभी गांधीवादी तो सर्वोदयी होते है क्योकि स्वतंत्रता के बाद गांधीवादियो की पहचान सर्वोदयी के रूप मे ही होने लगी है किन्तु सभी सर्वोदयी गांधीवादी नही होते क्योकि उनमे से बहुत ऐसी प्रतिष्ठा से लाभ उठाने के लिये भी इन शब्द के साथ चिपके हुए हैं।

(च) बंगाल में साम्यवाद का पतन या ममता उत्थान – पंकज अग्रवाल

साम्यवाद सत्ता के केन्द्रीय करण का सर्वाधिक सफल मार्ग रहा है। इसमें अधिकतम अनुशासन है तथा मजवूत संगठन व्यवस्था है । जहॉ भी साम्यवाद सत्ता से बाहर होता है वहॉ लोकतंत्र के उच्चतम आदर्श की बात करता हैं। किन्तु सत्ता मिलते ही साम्यवाद लोकतंत्र के सभी आदर्शों से नीचे उतर जाता है।

वुद्धदेव भट्टाचार्य ने साम्यवाद के इस चरित्र में आंशिक संशोधन का प्रयास किया । उस समय जब ये सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर थे तब बजरंग मुनि जी ने एक मार्च दो हजार सात को ही ज्ञान तत्व में लेख ''भारत के गोर्बाचोव बुद्धदेव भट्टाचार्य'' शीर्षक लिखकर भविष्यवाणी कर दी थी कि बुद्धदेव जी ने जो रास्ता बदला है । वह देश समाज और लोकतंत्र के लिये अच्छा है किन्तु बंगाल से साम्यवाद को समाप्त कर देगा। ज्ञान तत्व एक सौ अठाइस में यह स्पष्ट भविष्यवाणी छपी है। उक्त पुराना लेख मैं वेव साइट में दे रहा हूॅ जिससे आप समझ सके कि हमारी राजनैतिक भविष्यवाणी कितनी सत्य होती है। बंगाल से साम्यवाद का पतन न ममता बनर्जी के कारण है न साम्यवादियों के कारण। इसका एकमात्र आधार बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं जिन्होने साम्यवाद को आंशिक मानवता की ओर ले जाने का प्रयत्न किया। मुनि जी ने उस समय जैसी भविष्यवाणी की थी वह बिल्कुल सच सिद्ध हुई है।

बंगाल की राजनीति में साम्यवादी हार रहें हैं। साम्यवाद का कोई सिद्धान्त नहीं होता है । किसी तरह लोकतंत्र और हिंसा का समन्वय करके सत्ता पर अपनी पकड़ मजवूत करते जाना ही इसका लक्ष्य होता है। साम्यवाद एक विश्व व्यापी संगठन है जिसका अपना विश्व व्यापी अनुशासन है। ममता बनर्जी स्वयं ही सिद्धान्त है और स्वयं ही अनुशासन । बंगाल मे सत्ता प्रात करना उनका लक्ष्य है। न किसी विचार का बंधन है न चरित्र का । जरूरत पड़ी तो भाजपा से भी समझौता कर लिया और जरूरत पड़ी तो नक्सलवादियों से भी। ममता बनर्जी ने मार्क्सवादी हिंसा का हिंसा से उत्तर भी दिया। और मार्क्सवादी हिंसा के विरूद्ध रोना भी रोती रही। ममता हर मामले मे साम्यवादियों से भारी पडी। चालाकी मे भी, हिंसा मे भी

तथा तात्कालिक निर्णय मे भी । स्पष्ट दिखता था कि टाटा का कारखाना बंगाल से जाना ममता के लिये बहुत भारी पड़ेगा। किन्तु उसने किसी तरह लोगो का ध्यान दूसरी तरफ हटा दिया और सफल हो गईं।

बंगाल की राजनीति में ममता की जीत उसका उत्थान न होकर मार्क्सवाद का पतन है। मार्क्सवादी जिन हथकंडो से बंगाल में मजवूती से डटे रहे उनमें वुद्धदेव जी ने संशोधन शुरू किया । साम्यवाद सत्ता में दिल का कोई स्थान नही होता । सिर्फ दिमाग का उपयोग होता है। वुद्धदेव जी ने दिल का उपयोग भी शुरू किया जो पार्टी लाइन से विपरीत था। दूसरी ओर ममता साम्यवादियों से भी छल और हिंसा में आगे निकल गई । परिणाम स्पष्ट था साम्यवाद का पतन। वही हुआ और आगे भी वही दिखता है। न वुद्धदेव जी साम्यवादी राह पर चलेंगें, न ही साम्यवाद वुद्धदेव जी की राह स्वीकार करेगे। ममता उसका लाभ उठाती रहेगी ।

ममता बनर्जी का कोई अस्तित्व नहीं हैं । उनकी सरकार का बनना बंगाल की मजवूरी है । साम्यवाद से मुक्ति हो जाय तो ममता से तो मुक्ति मिल ही जावेगी क्योकि ममता बनर्जी दो तीन वर्ष में ही बंगाल को थका देगी । साम्यवाद दुबारा आने को तैयार नही है । भविष्य में क्या होगा यह पता नही । ममता के बाद क्या होगा इसकी धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिये। जो हो रहा है वह बंगाल की मजवूरी है और जो होगा वह अच्छा ही होगा। एक बार बंगाल शेर के जबडे से तो बाहर आवे, शेरनी से तो निपटारा कठिन नहीं होगा।

(छ)गांधी का नाम सबके आवे काम– बजरंग मुनि

गांधी के जाने के बाद गांधी का नाम ही बीमारी की दवा बन गया । भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद नाम से नयी विचारधारा स्थापित करने की कोशिश की जो चल नही सकीं ।सर्वोदय ने गांधी के नाम पर ही ग्राम स्वराज्य नाम से नई अवधारणा प्रस्तुत की जो गांधी के बाद आज तक समाज को गुलाम बनाकर रखने का मुख्य आधार बनी हुई है। कुछ लोगों ने गांधी की अहिंसा को शस्त्र की जगह सिद्धान्त बताना शुरू किया जो समाज में कायरता का आधार बना और ऐसे सिद्धान्त शास्त्रियो को संघर्ष से पलायन की ढाल बन गया । अब अरून्धती राय ने नक्सलवादी हिंसा के समर्थन में गांधी शब्द का उपयोग करते हुए नक्सलवाद को गांधीवादी बन्दूक कहना शुरू किया है। कभी सोचा भी नही गया था कि सशस्त्र टकराव के साथ भी गांधी जोड़े जा सकते है किन्तु अरून्धती राय ने वह कमाल भी करके दिखा दिया।

अरून्धती जी ने कहा है कि ''हिंसक क्रान्ति आज देश की मजवूरी है। अहिंसा के मार्ग से कोई परिणाम नहीं निकलेगा क्योकि अहिंसा फेल हो चुकी है। अहिंसा के स्थान पर हिंसा का समर्थन करना चाहिये चाहे उसके लिये जेल भी जाना पड़े तो मैं(अरून्धती जी) तैयार हूँ।''

प्रसिद्ध सर्वोदयी विचारक कुमार प्रशान्त ने नक्सलवाद के संबंध में लेख लिखकर विचार व्यक्त किया है कि हिंसा का हर हालत में विरोध होना चाहिये चाहे वह सरकार की तरफ से हो या नक्सलवादियों की तरफ से । मै किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थक नहीं किन्तु मैं सरकार द्वारा ग्रामीणों को जल जंगल जमीन से बेदखल करके बड़े उधोगपतियों को दिये जाने के षणयंत्र को भी चुपचाप नहीं देख सकता।

प्रसिद्ध गांधीवादी ओम प्रकाश दुबे दिल्ली मे कहा कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते वे वर्तमान स्थिति को मजवूरी बताकर या तो सहते जाने की बात करते है या हिंसा की । मेरे विचार में लोक

स्वराज्य इसका सर्वश्रेष्ठ समाधान है जिसके पक्ष मे ठाकुर दास बंग जी भी पूरे प्रयत्न कर रहे है । न शासकीय हिंसा हमारी मजबूरी है न ही सरकार के विरूद्ध हिंसा चाहे वह नक्सलवादी हिंसा हो या कोई और । जो लोग कुछ नही करना चाहते वे हिंसा के लिये कई तरह के बहाने खोजते है। वर्तमान सभी समस्याओ का समाधान अहिंसक क्रान्ति से संभव है । लोक स्वराज्य अभियान उसका मार्ग है तथा ग्राम सभा सशक्तिकरण कार्य।

इस विषय पर मैने भी बहुत सोचा है। अरून्धती राय ने जो कुछ कहा वह चिन्ता का विषय है। ये नक्सलवाद का समर्थन करें या विरोध यह उनकी स्वतंत्रता है । मै उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भौतिक प्रतिवंध के खिलाफ हूँ । फिर भी मैं उनके अपने कथन के साथ गांधी के नाम के उपयोग को निन्दनीय कार्य समझता हूँ । यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि अरून्धती जी ने ऐसी हिम्मत की । कुमार प्रशान्त अहिंसा के प्रबल समर्थक माने जाते है। यदि सर्वोदय के लोग पहले से ही ऐसे हिंसा समर्थकों के साथ तालमेल नहीं करते तो आज गांधी को ऐसे लांक्षन से नहीं निपटना पडता जैसे आज अरून्धती जी के बयान के कारण लगा है । हमे चाहिये कि हम अरून्धती जी द्वारा हिंसा के समर्थन का भी पुरजोर विरोध करें तथा गांधी का नाम हिंसा के साथ जोड़ने का भी । हम अहिंसक है तो इसमें कोई समझौता नहीं है। हम समाधान की हिम्मत रखते है तो हमे स्पष्ट करना चाहिये । हम वर्तमान सरकार का पुरजोर विरोध करेंगें किन्तु हिंसक तत्वों से मिलकर नहीं । हम लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा देंगे साथ ही तानाशाही की लाइन का डटकर विरोध करेंगे।

अरून्धती राय और प्रतिक्रियाएँ

वुकर पुरस्कार प्राप्त लेखिका अरून्धती राय ने पिछले दिनो भारत में हिंसक क्रान्ति की आवश्यकता बताते हुए अहिंसा और गांधी विचार को वर्तमान समय मे असफल सिद्धान्त बताया था। उन्होने नक्सलवाद को गांधीवादी बन्दूक बताते हुए नक्सलवाद का पूरा पूरा समर्थन किया था।

दैनिक भास्कर में उक्त प्रतिक्रिया के विरूद्ध कुछ प्रतिक्रियाएँ प्रकाशित हुई । छत्तीसगढ के डी.जी.पी. विश्वरंजन जी ने कहा कि अरून्धती जी छत्तीसगढ़ मे आकर नक्सलवादियों के साथ बन्दूक उठावे तो हम भी निपटने को तैयार हैं। मिजोरम के ए.डी. जी. अतुल माथुर जी ने अरून्धती राय के कथन का विरोध किया । बी. एस.एफ. के पूर्व प्रमुख एम.एल. कुमावत ने अरून्धती राय के कथन को अर्थ हीन बताया । नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष विश्वजीत मित्र ने अरून्धती जी को सलाह दी कि वे छत्तीसगढ के जंगलो में नक्सलियो का खाना बनाने का काम करें । हाई कोर्ट के वकील सतीशचन्द्र शर्मा ने सलाह दी कि अरून्धती जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। भाजपा नेत्री पूनम चतुर्वेदी ने कहा कि अरून्धती राय को चौक पर गोली मार दी जाय।

विचार करिये कि क्या ये प्रतिक्रियाएँ उचित हैं। क्या अब नक्सलवाद के समर्थन में बोलनें वालों को उत्तर भी पुलिस या बी.एस. एफ. ही देगी? क्या ऐसा बयान देने वालो को जेल में बन्द कर दिया जावे? क्या ऐसा बयान देने वालों को गोली मार दी जाये? नक्सलवाद का विचार और नक्सलवादी क्रियाओं मे आसमान जमीन का अंतर है । यदि ऐसे विचारों का जबाब भी गोली से दिया गया तो नक्सलवाद और आप में अंतर क्या होगा? आज क्या समाज का बौद्धिक वर्ग ऐसे आतंकवादी विचारो का विचारो से मुकाबला नहीं कर सकता? मेरे विचार में कर सकता है और करना भी चाहिये किन्तु उस प्रकार फूहड तरीके से नहीं

जैसा उपर लिखा गया । हिंसक विचारों का मुकाबला अंहिंसक विचारो से होना चाहिये और हिंसक क्रियाओ का गोली बन्दूक जेल से । लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी सीमाऍ है। अरून्धती राय की मजबूरी है कि केरल की होने से उनके वैसे ही प्रारंभिक संस्कार रहे तथा बुकर परस्कार प्राप्त करने में जिनका मार्गदर्शन और समर्थन मिला उनके प्रति भी कुछ कहना करना पडता है। फिर उनकी अन्य मामलों मे भी ऐसी ही सोच रही। उन्होने संसद पर आतंकवादी आक्रमण को भी सरकार प्रायोजित संदेह के घेरे में लाने की कोशिश कर दी थी । ऐसी पागल महिला को इतना अधिक गंभीर क्यो बनावें । ऐसे ऐसे पागलो को वुकर पुरस्कार देने दिलाने से इनका सम्मान नही बढता बल्कि वुकर सम्मान समिति की सोच पर सवाल उठता है । मैने जब अरून्धती जी के कश्मीर पाकिस्तान का संबंधी विचार और संसद पर आक्रमण संबंधी विचारो का खुलकर विरोध किया तभी गंभीर विद्वानों को सतर्क हो जाना चाहिये था। यदि उस समय गंभीर विरोध हुआ होता तों आज यह हालत होती ही नहीं।

हम अरून्धती राय के अहिंसा और गांधी के विरूद्ध दिये गये बयान की निन्दा करते हैं। इसका अर्थ नहीं कि हम सरकार के समर्थक हैं। हमारी सरकारें जिस तरह गरीब ग्रामीण श्रमजीवी उत्पादकों के विरूद्ध अमीर शहरी बुद्धिजीवी उपभोक्ता वर्ग को प्रोत्साहित कर रही है उस नीति के विरूद्ध अहिंसक संघर्ष की योजना पर काम हो रहा है। किन्तु हम इतने कमजोर नहीं की हमें नक्सलवादियों से समर्थन लेना पडे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगें। सरकार ग्रामसभा सशक्तिकरण का मुखौटा लगाकर समाज को गुलाम बनाने का ताना बाना बुनती रहती है, हम वह मुखौटा हटाकर वास्तव में ग्रामसभा सशक्तिकरण ला देंगें और दिखा देंगें कि नक्सलवाद और सरकार दोनों मे ज्यादा फर्क नहीं । दोनो ही हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं । फिर भी सरकार के लोकतंत्र और नक्सलवाद की तानाशाही में जो मौलिक फर्क है उसे समझने की जरूरत है।

समाचार पत्रों से मेरा आग्रह है कि वे उथले लोगो की प्रतिक्रियाओं के साथ साथ कुछ सर्वोदयी लोग जैसे अमरनाथ भाई, कुमार प्रशांत, ब्रम्हदेव शर्मा, दिग्विजय सिंह, स्वामी अग्निवेष आदि से भी पूछें। ये लोग आंशिक रूप से अरून्धती राय के प्रशंसक रहे हैं दूसरी ओर अहिंसा तो इनके रग रग में ही दिखती है। समाज को पता चले कि अहिंसा और अरून्धती के बीच ये लोग अपना रंग किधर बदलते हैं।

आशा है कि अरून्धती राय के कथन से नक्सलवाद पर गंभीर विचार मंथन को गति मिलेगी।

(ज)आई.पी.एल और शरद पवार

शरद पवार भारत के उन राजनेताओं में रहे जिन्होने राजनीति को हमेशा ही व्यवसाय के रूप में माना है। न तो इन्होने कभी राजनीति को अपराध सहायक के रूप में माना न ही समाज सेवा के रूप में । आराम से तिकडम करके बिना बदनामी के जो कुछ कमा लें उसी पर इन्हे संतोष रहा है।

प्राचीन समय में खेल कला प्रदर्शन के माध्यम से समाज सेवा का माध्यम था। धीरे धीरे खेलो के प्रति आम लोंगों की रूचि बढी और खेल व्यवसाय बन गये । स्वाभाविक ही है कि वयावसायिक प्रतिस्पर्धा जब अपनी सीमाएँ तोड देती है तो वह तिकडम में बदल जाती है ।जब एक एक खेल के लिये करोंडों का व्यवसाय होने लगा तो खेलों मे मैच फिक्सिग, खिलाडी चयन प्रणाली में भ्रष्टाचार आदि अनेक बुराइंया प्रवेश कर गई । खिलाडी भी पैसे की ताकत पर अपना प्रचार या सम्मान कराने लगे । जब धन और बढा तब राजनीति का भी प्रवेश बढ़ा । धन और सम्मान पर तो सर्वोच्च अधिकार राजनीति के खिलाड़ियो का ही होता है । वास्तविक खिलाडियों को तो जूठन पर ही खुश रहना चाहिये। क्रिकेट में प्राप्त अकूत धन सम्मान ने राजनेताओ को भी मजबूर किया कि खिलाडियो को भी अपनी सीमा में रखे तथा पूंजीवादियों को भी । साधारण सा खिलाडी एक दिन मे करोड़ो कमा ले और नेता पूजींपति देखता रहे यह बरदाश्त नहीं हुआ । परिणाम स्वरूप क्रिकेट मे नेता तथा पूंजीपतियो के वैधानिक प्रवेश का रास्ता साफ किया गया। अब खिलाडियो से भी अधिक नेता पूँजीपति क्रिकेट खेल रहा है । खिलाडी ड़ंड़े से खेलता है तो नेता व्यवसायी तिकडम से ।

ऐसी तिकडम भी जब सीमा पार कर जाती है तब कहीं न कहीं भांडा फूटता है । आई पी.एल. की स्थापना से ही आभास हो रहा था कि अब अति हो गई है और भांडा फूटेगा । और वही हुआ। कभी ललित मोदी द्वारा लूटपाट की खबरें आई तो कभी शरद पवार का नाम उछला । सामान्य व्यक्ति तो खिलाडियों को प्राप्त करोडों की बात सुनकर ही आश्चर्य चकित था । आई पी. एल की बाते सुन सुन कर तो वह समझ ही नहीं पा रहा कि वह हजार करोड कहे या हजारों करोड़ । अभी तो पूरा खेल खुलना शुरू ही हुआ है । ललित मोदी शरद पवार के अलावे भी नाम आ सकतें है । स्तीफा मांगने वालों को बहुत कष्ट है कि ललित मोदी शरद पवार से उनमे क्या कमी है जो वे आज तक इस खेल से बाहर है। विचारणीय प्रश्न ललित मोदी शरद पवार तक ही सीमित नहीं हैं । विचारणीय यह है कि खेल की ऐसी दुर्गति क्यों? मेरे विचार में खेल को कला प्रदर्शन से आगे जिस तरह व्यावसायिक स्वरूप दिया गया उसका ऐसा परिणाम स्वाभाविक है। या तो ऐसे कार्यो पर कठोर नियंत्रण हो अथवा ऐसे कार्यो का सम्पूर्ण निजीकरण कर दिया जावें। यदि खेलो में बडी मात्रा में सरकारी धन खर्च नहीं होता तब तो हमे कष्ट नही होता । समाज तो गाय के लिये पेट काट काट कर थोडा थोडा अनाज इकठ्ठा करें और उक्त अनाज कुत्ता खा जाय तो कष्ट होना ही है।

(झ)श्री श्री रविशंकर पर हिंसक आक्रमण या कुत्ता भगाने की घटना? बजरंग मुनि

श्री रविशंकर जी महाराज की सभा समापन के बाद उनके एक भक्त के पैर में आकर गोली लगी। रविशंकर जी ने इसे अपने उपर आक्रमण माना जबकि सरकार ने आक्रमण से इन्कार किया । रामदेव महाराज ,शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती , भाजपा नेता गडकारी जी नरेन्द्र मोदी रमण सिंह आदि ने तत्काल आक्रमण की निन्दा करनी शुरू कर दी । ऐसा लगा जैसे ये लोग निन्दा करने को तैयार बैठे हों। सभी धार्मिक गुरूओं की सुरक्षा की मांग उठने लगी। मैने लीक से हटकर काश इन्डिया डाट काम के माध्यम से

रविशंकर जी पर हुए हमले पर खुला संदेह व्यक्त करते हुए लिखा कि इस घटना को आक्रमण के रूप मे प्रचारित करके रविशंकर जी महाराज ने अपनी प्रतिष्ठा गिराई हैं।

अब गोली चलने की घटना का रहस्य खुल गया है । रविशंकर जी के आश्रम के बगल में एक बडा फार्म हाउस है जिसके मालिक अपने फार्म हाउस मे भेंड भी पालते हैं। कुछ कुत्ते भेडों को नुकसान पहुॅचा रहे थे तो फार्म हाउस के मालिक ने कुत्तों पर दो गोलियॉ चलाई। फार्म हाउस आश्रम की दीवाल के सटा हुआ है। एक गोली दीवाल से टकराकर उस दिशा में गई जिधर भक्त गण थे। गोली पहले उपर गई और कमजोर होते होते एक भक्त के पैर से टकराई । इस सामान्य घटना की बिना जॉच पडताल किये ही भक्तो ने तिड का ताड़ बना दिया । यहॉ तक कि रविशंकर जी महाराज भी इस सस्ती लोकप्रियता से स्वयं को नही रोक सके । उन्होने भी इसे आक्रमण बताने में जल्दबाजी से काम लिया।

प्रश्न उठता है कि जो घटना मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को दो हजार कि.मी. दूर बैठकर भी आक्रमण न दिखकर कोई अन्य घटना दिख रही थी और मैने तत्काल लिखा भी था, वही घटना रामदेव जी, मोदी जी, गडकरी जी आदि को इतनी जल्दी आक्रमण के रूप में कैसे दिख गई ? रविशंकर जी महाराज तो अहिंसक संत हैं उनका कोई शत्रु नहीं । उनको इस घटना मे आक्रमण का कैसे संदेह हुआ ? दुख की बात तो यह है कि चौबीस घंटे बाद उन्होने कुछ अधिक जोर देकर केन्द्रीय गृहमंत्री के कथन की आलोचना कर दी। आज रविशंकर जी ने पुलिस की विवेचना पर विश्वास व्यक्त किया उन्होने अच्छा किया अन्यथा इस विवेचना पर भी यह कहकर अविश्वास व्यक्त किया जा सकता था कि कहानी मनगढ़त है कोई कुत्ता भगाने के लिये फायर नहीं करता आदि आदि।

अच्छा हुआ कि एक संवेदनशील मुद्दा समाप्त हो गया है और सीख दे गया है कि स्थापित महान लोगों को बहुत सोच समझकर ही प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये।

(ट) आनन्द गोयल जी

प्रश्न :– आप ने यहॉ प्रधान मंत्री को बधाई तो दी है, लेकिन मूल्य वृद्धि में से जो सब्सिडी सरकार पहले से देती आ रही है क्या उसमे कोई कमी हुई है ? ऐसा मुझे प्रथम दृष्टया प्रतीत नही होता । मै आप की इस बात से सहमत हूॅ कि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले गरीबो में राशि बांट के सरकार गरीबो के लिये भगवान बन सकती है। लेकिन क्या इस से उस स्तर पर जीवनयापन करने वाले लोगों में मुफ्तखोरी एवं काम के प्रति अनिच्छा या निठल्लेपन का भाव नहीं आयेगा। इस बात का उदाहरण छत्तीसगढ़ शासन के तीन रूपया किलो चावल योजना के बाद ग्रामीण से शहरी क्षेत्रो में मजदूरों की संख्या में आई कमी से दिखता है।

आज की स्थिति में जब किसी को एक समय का भोजन बिना काम किये मिल रहा हो तो वह उस समय काम के प्रति उदासीन हो जाता है क्योकि कि गरीब सिर्फ अपने भोजन के लिए श्रम करता है और जब वह भोजन श्रम के बिना ही उसे मिलेगा तो वह क्यो मजदूरी करेगा । ऐसी स्थिति में गरीबों को गरीबी रेखा से उपर उठने के लिये यह उपाय संदेहास्पद लगता है। लेकिन यही स्थिति पूरे देश में होगी यह इस बात की कोई गारंटी नहीं है। शायद मुनि जी के सुझाव सही हो ।

उत्तर :– आपने जो शंका व्यक्त की है वह संपूर्ण भारत के संपन्न और मध्यम वर्ग द्वारा व्यक्त की जा रही है। मै बिजनौर में कथा कह रहा था तो आम तौर पर यह शंका व्यक्त की गई । भारत सरकार ने एक संसदीय दल बनाया और उस संसदीय दल का निष्कर्ष है कि गांवों में श्रम मूल्य बढ़ने से कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है । मै जहॉ भी जाता हूँ वहॉ मजदूरो के अभाव की चर्चा होती ही है। मेरे अपने परिवार में भी यह चर्चा आम है।

पुराने जमाने में श्रम और वुद्धि के बीच इतना अंतर नहीं था जितना आज है। हमें घरों में कम मजदूरों की जरूरत थी क्योकि हमारे परिवार के सदस्य भी सामान्य श्रम के काम कर लेते थे । आज हमें मजदूर की आवश्यकता अधिक है क्योकि हमारे परिवार के सदस्य अधिक अच्छे स्तर के बौद्धिक कार्यो में चले गये । श्रम प्रधान कार्यो से निकल निकल कर लोग वुद्धि प्रधान कार्यो की ओर जा रहे है क्योकि श्रम और वुद्धि के बीच अन्तर बढ़ रहा है। उचित तो यह होता है कि श्रम जीवियों का वुद्धि प्रधान कार्यो की ओर पलायन रूकता और यह तभी रूक सकता है जब जीवन स्तर का फर्क कम हो । यदि हम श्रम को मजबूरी के साथ जोड़कर रखना चाहेगे तो हमें तात्कालिक लाभ दिखेगा किन्तु आगे चलकर मजदूर पैदा कहा से होंगे ? उनकी संख्या घटती जायेगी क्योकि उनके बच्चे मजदूर नहीं रहेगे और आपके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं कि आप उन्हे पढ़ लिखकर वुद्धिजीवी बनने से रोक सकें ।

प्राचीन समय में ऐसी ही संकीर्ण सोच ने यह नियम बना दिया कि शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा । शूद्र पढ़ लिख नहीं सकता । शूद्र यदि वेद पढ़ ले तो अपराध। क्या ऐसा सोच ठीक था ? तात्कालिक लाभ हुआ किन्तु दीर्धकालिक समस्या पैदा हुई । ऐसा करना न तो न्याय संगत है न मानवीय और न ही संभव । बिना ऐसा प्रावधान किये श्रमजीवियों का अभाव होना अनिवार्य है।

इसलिये इसका समाधान सोचा गया कि श्रम और वुद्धि के बीच का अन्तर घटे। जब श्रम मजबूर नहीं रहेगा तो श्रमजीवी वुद्धिजीवी बनने की कम कोशिश करेगा । जब श्रम मंहगा होगा तो हमें भी आंशिक श्रम करने की आदत पडेगी। हम न तो किसी कानून के द्वारा किसी को श्रम के लिये मजबूर कर सकते है न ही भगवान से कह सकते है कि वह जन्म काल से ही किसी को श्रमिक बना दे । हमे तो श्रम के प्रति आकर्षण का ही मार्ग चुनना होगा । जब लोगो को श्रम कार्य में अधिक लाभ होगा तब लोग मामूली मास्टर या क्लर्क की अपेक्षा श्रम को भी पसंद कर सकते है। तात्कालिक सुविधा के लिये सामाजिक अव्यवस्था घातक होगी ।

गरीब सिर्फ भोजन के लिये श्रम करता है यह बात सही है किन्तु वह भोजन उसे किसी संपन्न के मंदिर या गुरूद्वारे से मिल जावे तो वह मजबूर नहीं रहेगा । गुरूद्वारे का लंगर इसलिये बंद करा दे कि इससे लोग काम चोर हो रहे है। उससे अच्छा तो यही होगा कि श्रम मूल्य बढ़ जावे । न आपके पास इतना अधिक इकट्ठा होगा कि आप लंगर चलावे और न ही श्रमिक इतना मजबूर होगा कि वह लंगर में जावे ।

आपने नगद बांटने पर आपत्ति की है । जो कुछ उन्हें बांटा जा रहा है वह तो उन्ही से लिया हुआ टैक्स का कुछ अंश है। यह सोचना हमारी भूल है कि हमसे टैक्स लेकर गरीबों को सस्ता अनाज दे रहे है। एक ग्रामीण अपने व्यक्तिगत श्रम से तथा अपनी जमीन से कुछ फसल पैदा करके शहर में सौ रूपये में बेचता है तो उस उत्पादन पर सरकार आठ से बारह रूपया टैक्स व्यापारी के माध्यम से वसूल कर लेती है। वही श्रमिक जब अठासी रूपया लेकर दूसरी दुकान से कुछ उपयोगी सामान खरीदता है तो

फिर उससे आठ से बारह रूपया तक सरकार उस व्यापारी के माध्यम से वसूल लेती है। इस तरह सौ रूपये के उत्पादन से श्रमजीवी उत्पादक अस्सी रूपया का सामान लेकर घर लौटता है तब सरकार उसे कुछ सस्ता चावल देकर उस पर अहसान करती है। प्रश्न उठता है कि क्या आज हमारा भारत ऐसी हालत में नही कि वह गरीब ग्रामीण श्रम जीवी को कर मुक्त कर सके? क्यो नहीं आप डीजल पेट्रोल बिजली टेलीफोन पर टैक्स लगाकर गरीब ग्रामीण श्रमजीवी पर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर सकते है? यदि आप इस प्रकार उन मजदूरो की रोटी पर भी टैक्स वसूल रहे है तो आप बांटने को तैयार रहिये अन्यथा आप उनसे लीजिये न दीजिये । दिक्कत यह है कि आपने कभी जीवन में सुना ही नही कि अनाज दाल खाद्यतेल सायकिल आदि सभी गरीब ग्रामीण श्रमजीवी उत्पादन और उपभोग की वस्तुओं पर भारी कर लगता है। आप केवल डीजल पेट्रोल बिजली टेलीफोन ही सुनते है तो आपको लगता है कि आपसे टैक्स वसूल करके गरीबों को बांटा जा रहा है। यह सच नहीं है।

श्री हेमन्त जी तथा निशा बंसल जी

प्रश्न :– आपने सरकार के द्वारा पेट्रोल ,डीजल,मिट्टी तेल और रसोई गैस का दाम बढाने पर जो प्रतिक्रिया दी है वो सचमुच ऑखे खोल देने वाली है,आपने अपने लेख द्वारा सिक्के के दुसरे पहलु पर भी प्रकाश डाला है पर गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन कर रहे लोगो पर मिट्टी तेल की कीमत में बढ़ोतरी से और अधिक दबाव पडेगा । सरकार को बडी तेल कंपनियों के अलावा गरिबी , श्रमिकों और निचले तबके के लोगो का भी सब्सिडी देकर ख्याल रखना चाहिये था तब ही सरकार की यह पहल सराहनीय कहलाने योग्य होती।

प्रश्न :– हॉ हेमंत जी आपने बिल्कुल सही कहा है मुझे भी ऐसा ही लगता है की इन्होने जे कहा वो विल्कुल सही हे पर सरकार को मूल्य वृद्धि के साथ कुछ चीजों पर टैक्स भी कम करना चाहिये जिन वस्तुओं को गरीब और ऐसे लोग इस्तेमाल करते है जो अपना जीवन यापन भी नही कर पाते फिर तो ये कदम विबल्कुल सही था।

उत्तर– आपने मट्टी तेल का मूल्य वृद्धि से गरीबों पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव की चर्चा की है। यह बात सही दिखती है, पर है नहीं। मूल्य वृद्धि अलग चीज है और मुद्रा स्फीति के आधार पर मूल्य पुनर्मुल्यांकन अलग। मूल्यों का प्रतिवर्ष मुद्रा स्फीति के आधार पर पुनर्मूल्यांकन न होने से कोई वस्तु सस्ती होती चली जाती है और मूल्य विसंगति पैदा करती है। यदि एक वर्ष में कुल मुद्रा स्फीति की दर दस प्रतिशत है तो डीजल, पेट्रोल मिट्टी तेल रसोई गैस का मूल्य भी दस प्रतिशत संशोधित करना चाहिये। यह संशोधन मूल्य वृद्धि नहीं होती। यदि आप संशोधित नहीं करते तो अनाज कपड़ा दाल या अन्य वस्तुओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा तथा उसका मूल्य दस से ज्यादा बढ़ा होगा तब दस का औसत हुआ। सरकार को जितना धन चाहिये उसमें से मट्टीतेल डीजल बिजली आदि अपना अंश दान कम करते हैं तो सरकार दाल,खाघतेल, इंटा, खपडा ,साइकिल जैसी अन्य वस्तुओं पर टैक्स लगाकर घाटा पूरा करती है। यह व्यवस्था आम आदमी के लिये अधिक घातक है। मिट्टी तेल का मूल्य संशोधित न करके मिट्टी तेल की हानि सरसों तेल पूरी करके ऐसे प्रयत्न ठीक नहीं। आज से दस वर्ष पूर्व सरसों तेल पर सरकारी टैक्स चार रूपया प्रति लीटर था जो आज बढ़कर आठ हो गया। यदि मिट्टी तेल का मूल्य अपने तरीके से संशोधित होता तो सरसों तेल का टैक्स कम बढ़ सकता था। आप सोचिये कि सरसों तेल, साइकिल, दाल आदि वस्तुओं पर टैक्स का विरोध सरसो तेल, साइकिल, दाल आदि वस्तुऍ खास आदमी के उपयोग की हैं जिन्हें गरीब ग्रामीण श्रमजीवी कहते हैं और डीजल, पेट्रोल ,बिजली, मिट्टी तेल आम आदमी के उपयोग की जिनमें हम

आप सरीखे मध्यम वर्ग भी शामिल हैं। यह आम और खास की परिभाषा बनाकर ही मिट्टी तेल के मूल्य संशोधन का विरोध हो रहा है अन्यथा मिट्टी तेल का मूल्यांकन दुगने के करीब जाना चाहिये।

डा0 दानी भिलाई छ0ग0

प्रश्नः— भारत सरकार बार बार डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को मजबूरी बता रही है जो बिल्कुल झूठ है। भारत सरकार को डीजल पेट्रोल आधे मूल्य पर ही प्राप्त होता है किन्तु सरकार उसे दुगने मूल्य पर बेचती है । अभी कुछ माह से दुगने मूल्य से कम पर बेचने के कारण वह चिल्ला रहीं है। सरकार क्यो नहीं समझती कि उसे होने वाला लाभ थोडा सा कम हो गया । सरकार को फिर भी तो डीजल पेट्रोल में भारी कमाई होनी ही है। आप सरकार की मजबूरी को महसूस किये किन्तु जनता की नहीं ।

पाकिस्तान में छब्बीस रूपया, क्यूबा में उन्नीस रूपया, नेपाल में चौतीस रूपया तथा भारत में बिना टैक्स के सत्रह रूपया है। सरकार उस पर टैक्स लगाकर इतना मंहगा कर देती है । क्या आपकी नजर में यह अन्याय नहीं है?

उत्तरः— सरकार झूठ बोल रहीं है कि डीजल पेट्रोल की मूल्य वद्धि सरकार की मजबूरी है । मेरे विचार में मजबूरी कहना बिल्कुल गलत है। उचित यह है कि कृत्रिम उर्जा डीजल पेट्रोल, बिजली, किरोसीन, कोयला, गैस आदि की मूल्य वृद्धि औचित्य के आधार पर नीतिगत निर्णय के अनुसार होनी चाहिये । न कि मजबूरी के आधार पर । औचित्य यह है कि (1) गरीब ग्रामीण श्रमजीवी से कोई कर न लिया जावे । (2) वौद्धिक मूल्य तथा श्रम मूल्य के बीच एक न्यायोचित अनुपात हो ।

वर्तमान समय में भारत सहित दक्षिण एशिया के देशों में गरीब ग्रामीण श्रमजीवी के उत्पादन तथा उपयोग की वस्तुओं पर भारी कर भी लिया जाता है तथा कृत्रिम उर्जा का मूल्य इतना कम रखा जाता है कि श्रम मूल्य बढे नहीं । क्योकि यदि कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि होती है तो वुद्धिजीवियों संपन्नों को दुहरी मार झेलनी पडती है अर्थात् उनकी आय कम होकर खर्च बढ़ जाता है तो दूसरी ओर श्रम मूल्य बढ़ जाने से भी परेशानी होती है। दक्षिण एशिया की अन्य सरकारें तो इतनी मानवीय नहीं किन्तु भारत को तो इस दिशा में पहल करती चाहिये । भारत में श्रम और वुद्धि के मूल्यों के बीच असमानता बढ़ती जा रहीं है। साथ ही गरीब और अमीर के बीच भी खाई बढ़ रहीं है क्योकि कृत्रिम उर्जा के मूल्य ठीक से नीति बनाकर तय नहीं हुये । वर्तमान समय में सब प्रकार की कृत्रिम उर्जा के मूल्य लगभग दोगुना करके रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, वनोपज, दाल, साइकिल आदि प्राथमिक आवश्यकता की सभी वस्तुएँ कर मुक्त कर दें । यदि कर मुक्त न करें तो यह राशि बराबर बराबर सबकों दे दें या यदि कम हो तो आधी आबादी को दे दें । यह सरकार की मजबूरी न होकर नीति होनी चाहिये । किन्तु सरकार मूल्य वृद्धि न करके मूल्य वृद्धि का नाटक करते रहना चाहती है जिससे गरीब ग्रामीण श्रमजीवी भ्रम में पड़े रहे ।

सभी उच्च वर्ग के लोग इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ आवाज उठा रहे है क्योकि इस तरह यदि आर्थिक विषमता कम हुई तो गरीब अमीर के बीच का अन्तर कम हो जायेगा । आज एक डाक्टर है इसलिये परेशान है। मैने टीबी में देखा है कि इन्दौर की सम्पन्न महिलाएँ सड़क पर लकडी जलाकर खाना बनाने की नाटक कर रहीं थी । उसका वास्तविक खाना तो घर में बन ही रहा था । लकड़ी पर खाना बनाते है और उनकी खाना बनाने वाली लकड़ी पर भी सरकार टैक्स लेती है। लकड़ी पर लगने वाले टैक्स के औचित्य पर मानवीय आधार से विचार करिये । या तो आपको पता ही नहीं कि इस व्यवस्था में

लकड़ी दाल खाद्यतेल और साइकिल पर भी इतना भारी कर है या आप इतने स्वार्थान्ध है कि किसी का कुछ भी हो किन्तु आपकों तो अपनी सुविधा चाहियें । आप पुनः प्रश्न करिये तो और साफ बात होगी ।

रामसेवक गुप्त

प्रश्न– आपने डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि का समर्थन कर दिया। इससे आवागमन मंहगा हो जायगा। इसका आम आदमी पर बुरा असर पडेगा।

उत्तर– इस समय भारत में सब उद्योगो का केन्द्रीयकरण तीव्र गति से हो रहा है। हर छोटे उधोग को बडा उधोग निगल रहा है और उसका मुख्य कारण है आवागमन का सस्ता होना। अर्थशास्त्र का सामान्य सिद्धान्त है कि आवागमन जितना सस्ता और सुविधा जनक होगा उतना ही अधिक केन्द्रीयकरण होगा। आबादी का खेतों से निकलकर सडको पर केन्द्रीयकरण हो रहा है। गांव के लोग शहरों की ओर भागे जा रहे है छोटे उद्योग बडे उद्योगो मे बदलते जा रहे है। मानवीय श्रम वौद्धिक श्रम की ओर बदलता जा रहा है और इन सब समस्याओ के पीछे एक ही कारण है कि आवागमन लगातार सस्ता हुआ है। आवागमन यदि मंहगा होगा तो उद्योग धंधे भी विकेन्द्रित होगे तथा इस विकेन्द्रियकरण का असर सब प्रकार की समस्याओ पर होगा। इसलिये नीतिगत आधार पर आवागमन को मंहगा करना आवश्यक है। जब कच्चा माल मशीनों में जाना मंहगा होगा और तैयार माल भी उपभोक्ता तक पहुॅचना महंगा होगा तभी तो उद्योग और कल कारखाने विकेन्द्रित होगे। सस्ता आवागमन वरदान न होकर अभिशाप है।

(ठ)श्री रामसेवक गुप्त,रामानुजगंज

मै काश इन्डिया भी देख रहा हूॅ तथा ज्ञानतत्व भी पढ रहा हूॅ। अबतक आप जितना बातें कहे या कह रहे हैं उनका न कोई भारतीय विद्वान समर्थन कर रहा है न विदेशी विद्वान। आप चालीस वर्ष पूर्व से कई बाते कह रहे है किन्तु उस समय भी आप अकेले थे और आज भी अकेले हैं। आपकी बातें ठीक तो समझ में आती है किन्तु थोडी देर के बाद ही लगने लगता है कि जब सारी दुनियॉ आज भी आपकी बात को गलत कह रही है तो कहीं वास्तव में तो आप गलत नहीं।

उत्तर– मैने अपने जीवन में अनेक विश्व स्तरीय से लेकर राष्ट्र स्तरीय निष्कर्ष समाज को दिये। वे एक से बढकर एक विलक्षण है किन्तु उनमें से एक भी आज तक गलत सिद्ध नहीं हो सका। यह मेरे लिये गर्व की बात है। आज तक कोई अन्य विद्वान उस बात को न कह सका न ही सिद्ध कर सका किन्तु किसी विद्धान में इतना भी साहस नहीं हुआ कि वह मेरे किसी कथन को गलत सिद्ध कर सके। जब तीस चालीस वर्ष पूर्व मै कहता था कि समाज राष्ट्र से बड़ा है, भारत की सारी समस्याओं का कारण भारतीय संविधान ही है, तो रामानुजगंज स्तर तक के लोग मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उडाते थे। आज संपूर्ण भारत के अच्छे अच्छे विद्धान मानने लगे है कि मेरा कथन हास्यास्पद न होकर विचारणीय तो है। अनेक मुद्दों पर सरकार उसी दिशा में काम कर रही है जिधर मै कहता रहा। यह अलग बात है कि सरकार उसका श्रेय मुझे नहीं देती जो मेरा उद्देश्य भी नहीं है। चालीस वर्ष पूर्व मैने अकेले ही कहा था कि हिंसा का समाज में कोई स्थान नहीं है। मैं पुनः उसी बात को दुहरा रहा हूॅ कि हिंसा के समर्थक तीन तत्व (1) इस्लाम (2)साम्यवाद (3) संघ परिवार। या तो अपनी अपनी नीतियॉ बदलेंगे अथवा समाप्त हो जायेंगे। आज आप अनुभव करिये कि तीनों की ही हालत चिन्ता जनक हो गई है। यदि नही सुधरे तो पूरी दुनिया में अलग थलग हो जायेगे। साम्यवाद की पूरी दुनियां में पोल खुल चुकी है, इस्लाम आपस में ही कट मर रहा है तथा संघ परिवार का भी भविष्य समाप्त ही दिखने लगा है।

मैं कृत्रिम ऊर्जा के विषय में जो कहा उस पर भी धीरे धीरे कदम बढ़ रहे है। मेरी कोई भी ऐसी बात बताइये जो चालीस वर्षो में गलत सिद्ध हुई हो तब तो मै फिर से सोचूँ। अन्यथा समाज देर से स्वीकार करता है यह सही है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। मै निश्चित हूँ कि समाज सच को स्वीकार करेगा ही चाहे मै जीवित रहूँ या नहीं।

(ड) सुरेन्द्र मोंगिया जी

प्रश्नः– लगता है सरकार ने करदाताओं की आम आदमी की कमर तोड़ने का फैसला कर रखा है । नए नए कर लगाये जा रहे है, करों की दरों को ऊँचा किया जा रहा है, प्रशासनिक आदेश से जीवनोपयोगी प्रतयेक वस्तु को आम आदमी की आर्थिक पहुँच से बाहर किया जा रहा है । "दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ " जैसा मुहावरा भी अब बौना होकर रह गया है । आटा, दाल, तेल, बिजली, पानी, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कोई मद नहीं छुट रहीहै जो आम आदमी को उसकी जेब से भारी न पड रही हो । कर बढाए जा रहे है तो बढते हुए करों के समर्थन में जीवन की हर वस्तु यू भी महंगी हो जाती है । प्रश्न यह है कि क्या हमारी सरकारें करदाताओं को, एक आम आदमी को बेईमान व कर चोर बनने के लिये विवश करना चाहती है ? सवाल यह भी है कि एक आदमी आखिर जिए तो कैसे? खासकर तब जब हमारी सरकारें आम आदमी की जब में इतना बड़ा सुराख कर देती है कि उसके पास उसके परिवार की आवश्यक आवश्यकताओं कीपूर्ति, घरेलू, जिम्मेदारियों का निर्वाह आदि कर सकने लायक जरूरी रकम बचती ही नहीं । अपने संकट काल के लिए कुछ बचाने की तो उसकी कूवत जैसे समाप्त ही हो रही । जैसे तैसे थोड़ा बहुत कुछ बचा भी लो तो उस पर भी भारी ज्वै जैसे कैची चला दी जाती है । अब कम से कम यह तो तय होना ही चाहिये कि किसी व्यक्ति की कुल आय का अधिकतम कितने प्रतिशत भाग ;सभी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करो को मिलाकरद्धकरों के रू‍प में सरकारों के पास जाना चाहिए तथा कम से कम कितने प्रतिशत भाग उसका वैध अधिकार है । भिन्न–भिन्न शीर्षको से धड़ाधड नए नए कर लगाना व / या करों की दरों को अमर्यादित रू‍प में उच्च से उच्चतर करते जाना सरकारों का वह काम है जो नागरिकों को बेइमान होने का जायज तर्क प्रदान करता है तथा अवैध उपायों / मार्गो को तलाशने की उसकी जरूरत पर औचित्य की मोहर लगाता है । इससे जन व तंत्र के बीच न केवल दूरी बढ़ती है बल्कि दुराव भी पैदा होता है । अतः सरकारें जरा ठहरकर कुछ चिन्तन–मनन अवश्य कर ले, अन्यथा परिणाम तो असुखद ही हो सकते है ।

उत्तर :– आपने लिखा है कि करों की सीमा हो । मै आपसे पूरी तरह सहमत हूँ । समाज मालिक है और राज्य प्रबंधक । प्रबंधक मालिक से कितना धन ले सकता है उसकी सीमा बनाने का अधिकार मालिक का ही है, प्रबंधक का नहीं । दुर्भाग्य से इसके ठीक विपरीत हो रहा है।

वर्तमान स्थिति में तत्काल यह संभव नहीं दिखता कि समाज ऐसी कोई सीमा लगा सके । ऐसी व्यवस्था में हम यह मांग कर रहे है कि भारतीय व्यवस्था में न्यायापालिका, विधायिका और कार्यपालिका के समान ही स्वतंत्र अर्थपालिका भी हो । यह अर्थपालिका ही कर और खर्च का बजट बनाए। अर्थपालिका सरकार के अधीन न होकर संवैधानिक मान्यता प्राप्त स्वतंत्र निकाय हो । अर्थपालिका कैसे बने यह अलग से तय होगा । वैसे ज्ञान यज्ञ परिवार ने अपनी आन्तरिक व्यवस्था में स्वतंत्र अर्थपालिका का प्रयोग शुरू किया है। (ठ) श्री रामसेवक गुप्त

प्रश्न– आपने लिखा कि भारत के सांसदों ,न्यायाधीशों तथा सभी सरकारी कर्मचारियों ने अपने अपने वेतनो मे कई गुना वृद्धि कर ली है। संसद की भूमिका निर्णायक होती है तथा शेष दो न्यायपालिका कार्यपालिका

की संसद को संतुलित करने की। कार्य पालिका न्यायपालिका किसी कार्य में पहल नही की सकते, गलत सही की समीक्षा कर सकते हैं। वेतन वृद्धि की पहल संसद ने की। उसने पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका के वेतन अनाप शनाप बढाये और अब अपना बढा रहें है। कोई भी सांसद इसके विरूद्ध नही न ही कोई दल विरोध कर रहा है। क्या यह उचित है?

उत्तर – आपकी जानकारी अधूरी है। अब तक ऐसा ही होता रहा है कि सभी दल मिलकर वेतन वृद्धि कर लेते थें। कांग्रेस पार्टी इसमें चुपचाप पहल करती थी। विपक्ष बदनाम होता था क्योकि विपक्ष का जीवन्त सम्पर्क समाज से होता है। इस बार साम्यवादियों ने विरोध करने की पहल की है जो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। वैसे भी साम्यवादी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के लिये अन्य दलो की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय तथा साफ सुथरे माने जाते हैं। वेतन वृद्धि के खिलाफ पहल करके भी उन्होंने अपनी छवी बचा ली है। सर्वाधिक गलत पहल की है भाजपा नेता सुषमा स्वराज्य ने। इन्होंने सांसद वेतन वृद्धि का पूरा पूरा समर्थन यह कह कर किया है कि बड़े कर्मचारियों की तुलना में सांसद का वेतन कम नहीं रह सकता। सुषमा जी को उत्तर देना चाहिये कि बडे कर्मचारियों की तुलना में संसद का वेतन कम नही रह सकता। सुषमा जी को उत्तर देना चाहिये कि बडे कर्मचारियों ने स्वयं अपना वेतन नही बढाया है बल्कि आपने ही पहल करके पहले उनका वेतने बढ़ा दिया और अब अपने पक्ष में उनका उदाहरण दे रही हैं। आप विपक्ष की नेता है। हर अनावश्यक बात पर भी सरकार का विरोध करने में आगे आगे रहती है तो इस मामले मे आपका न विरोध जगा न ही राष्ट्रप्रेम। संघ परिवार को भी इस मामले में पहल करनी चाहिये। साम्यवादियो को आप हर मामले में जी भर कर गालियॉ देते रहते हैं किन्तु जब आपके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बात आई तो आपका आचरण इतना गन्दा होगा , काग्रेसियों से भी ज्यादा ,यह सोचा भी नही जा सकता। कांग्रेसी प्रस्ताव रखकर चुप है और आपकी नेता सुषमा जी उस प्रस्ताव की वकालत कर रही हैं यह उचित नही दिखता।

(ढ) प्रश्न :–आप के द्वारा दी गयी जानकारी के बाद मुझे यह लगने लगा हैं कि जो बात मीडिया के बारे में कही जाती थी कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ हैं, पर शक होने लगा हैं । इस मामले में, मीडिया द्वारा तथ्यों व जानकारियों की जांच के बगैर जनता तक पहुॅचना भारतीय मीडिया की अपरिपक्वता या स्वार्थ को दर्शाता है, चाहे यह मीडिया का स्वार्थ हो या अपरिपक्वता या स्वार्थ को दर्शाता है, चाहे यह मीडिया का स्वार्थ हो या अपरिपक्वता दोनों ही हमारे लिए घातक है, चुकि इस प्रकार के मुद्दों की जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से ही मिलती है ।

उत्तर :– आपने एन्डरसन संबंधी मेरे विचार पढ़कर लिखा है कि इस तरह मीडिया की विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में आ रही है । सच्चाई यह है कि मीडिया की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ नहीं रही बल्कि पूरी तरह आई हुई है। पिछले दो तीन वर्षो से जबसे मीडिया अपने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने और मानने लगा तब से उसका स्तर लगातार व्यवसायिक होता जा रहा है। प्रत्यक्ष व्यवसायिक स्तर में तो विश्वसनीयता बनी रहती है किन्तु यदि धार्मिक सामाजिक राजनैतिक संस्थाऍ छिपकर व्यवसायिक स्वरूप ग्रहण कर लें तो खतरा उत्पन्न हो जाता है। मीडिया लगातार अपना न्यूशेंस वेल्यू बढा रहा है। उसने राठौर प्रकरण में भी अपना न्यूशेंस वैल्यू सिद्ध कर दिया है और भोपाल गैस प्रकरण में भी। अब तो

स्थिति यहॉ तक आ गई है कि मीडिया बाकायदा अभियान चलाकर किसी के पक्ष विपक्ष में वातावरण बनाने लगा है।

मीडिया का चरित्र पिछले चुनाव में आपने देखा सुना होगा कि किस तरह राजनैतिक दलों से करोड़ो रूपये ले लेकर उनके पक्ष में वातावरण बनाने का ठेका मीडिया ने लिया और जो जांच में प्रमाणित भी हो चुका है। अब मीडिया अपने प्रमाणित हो चुकी पापों पर कार्यवाही को रोकने के लिये प्रयत्नशील है। मेरे पास पूरी जानकारी है। एन्डरसन के मामले में भी मीडिया ने जिस तरह योजनाबद्ध तरीके से एन्डरसन को भारत से जाने देने के विरूद्ध तो अभियान चलाया किन्तु उसे बुलाने की जानकारी नहीं दी। इसी तरह मीडिया ने समाज के समक्ष स्पष्ट नहीं किया कि कम्पनी पंद्रह सौ करोड़ रूपया एक समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार को दे चुकी है और जो बट भी चुका है यह राशि मृतक को तीन लाख के रूप में दी जा चुकी है और वह भी आज से अठारह वर्ष पूर्व ही। मीडिया इस बात को छिपाकर सिर्फ पचीस पचीस हजार से पचहत्तर हजार तक की बात उछाल रहा है। यह राशि कम है यह कहना अलग बात है और छिपाना अलग बात। इसी तरह मीडिया अमेरिकन तेल रिसाव के मुआवजे की सिर्फ बात तो उठा रहा है किन्तु भारत में डाकुओं द्वारा की जाने वाली हत्याओं में कितना मुआवजा का प्रावधान है यह भी तो बताना चाहिये। यदि व्यक्ति व्यक्ति भारत में समान है तो भारत में अपराधियों के हाथों मारे जाने वालों को दस दस लाख क्यों नहीं। सुरक्षा देना राज्य का दायित्व है किन्तु दुर्घटना रोकना उसका दायित्व न होकर कर्तव्य है। यदि हमारा प्रधानमंत्री अपना दायित्व पूरा न करें और आपराधिक घटना उसकी लापरवाही से घटे तो एन्डरसन की तरह की धारा प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं। इस तरह के प्रश्न भी उठने चाहिये जो मीडिया के द्वारा दबाये जा रहे है।

मीडिया जबसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बना है तभी से उसके चरित्र में तेज गिरावट दिख रही है क्योंकि लोकतंत्र के तीन स्तंभों का जैसा चरित्र स्तर है उससे तो आज भी मीडिया का अच्छा ही है। वहॉ तक गिरने तक तो उसे चिन्ता नहीं क्योंकि अब तो वह सामाजिक बिरादरी से निकलकर बड़े लोगों की बिरादरी में शामिल हो गया है जिसे लोक पर शासन करने का संवैधानिक अधिकार है और मीडिया उसका चौथा अंग है।

राम सेवक गुप्त

प्रश्न :– काश इन्डिया डाट काम में बजरंग मुनि जी अकेले लिख रहे है कि एन्डरसन भोपाल गैस दुर्घटना के समय अमेरिका में था। वह भारत सरकार के आश्वासन पर दो दिन बाद भारत आया। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने उसे सकुशल वापस भेजने की व्यवस्था की।

आज तेइस दिसम्बर के जनसत्ता में प्रधानमंत्री के दस दिन शीर्षक से एक लेख छपा है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि एन्डरसन की गिरफ्तारी भोपाल में घटना के दूसरे ही दिन चार दिसम्बर को हो गई थी तथा उसी दिन उनको दो हजार डालर के मुचलके पर रिहा किया गया । रिहाई के बाद एन्डरसन पॉच दिन दिल्ली में रहे और आठ तारीख को अमेरिका गये। जनसंत्ता के लेख मे आगे कई जगह इस तारीख का उल्लेख करते हुए सप्रमाण कई बाते लिखी गई है। मुझे आश्चर्य है कि बजरंग मुनि जी ने कैसे भूल कर दी। पहले जब सारे भारत का मीडिया एक तरफ और मुनि जी का अकेले का रहस्योद्घाटन एक तरफ था तो हम भ्रम में थे कि क्या सच है? किन्तु अब तो जनसत्ता ने सब कुछ साफ कर दिया है। क्या आप (काश इंडिया) भूल सुधार करेंगे?

उत्तर– मैने जनसत्ता का वह लेख पढ़ा। मेरे विचार में यह लेख पूरी तरह असत्य तथा भ्रम पैदा करने वाला है। एन्डरसन उस समय अमेरिका में था। उसने भारत सरकार के तत्कालीन विदेश सचिव से फोन पर बात की कि वह भारत में हुए इस हादसे को स्वयं देखना चाहता है यदि भारत सरकार उसे सुरक्षित लौट जाने का आश्वासन दे। विदेश सचिव ने भारत सरकार से चर्चा की तो भारत सरकार सहमत हो गई। तब एन्डरसन भारत आये। वे और भी रूक सकते थे किन्तु बीच में ही मध्यप्रदेश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया जो आश्वासन का उल्लंधन था। तब भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और एन्डरसन को वापस भेज दिया।

सरकार ने सही किया या गलत यह विवेचना का विषय है किन्तु एन्डरसन चार तारीख को गिरफ्तार होकर और छूटकर दिल्ली मे रहा यह लिखना सच नहीं है। जनसत्ता जैसा अखबार भी ऐसा छापने की भूल कर दे यह आश्चर्य जनक है। उसे लेखक के विचारों की और छानवीन करनी चाहिये थी।

काश इन्डिया की शुरूआत ही समाज में फैल रहे एक पक्षीय असत्य प्रचार के विरूद्ध रहस्योद्घाटन के लिये हुई है न कि बिना गल्ती किये भूल स्वीकार करने के लिये। यदि भूल होगी तो स्वीकार करने में भूल नहीं होगी किन्तु बिना भूल कैसे स्वीकार करें। बेशक हम अकेले हैं और सम्पूर्ण राजनैतिक दल, मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार प्रेमी एक तरफ किन्तु यह तो भुल मानने का आधार नहीं है। आप और जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको सच पता चल जायेगा। मेरा किसी राजनैतिक सामाजिक संगठन से कोई सबंध नहीं है। इसलिये मुझे सच लिखने में परेशानी नहीं होती। असत्य को सत्य बनाकर तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करने वालों को कठिनाई होनी चाहिये कि अब सत्य असत्य की विवेचना के लिये काश इन्डिया भी मैदान में है।

मैं पुनः स्पष्ट कर दूॅ कि मेरे विचार में एन्डरसन की भारत में गिरफ्तारी पूरी तरह गलत थी। अनेक आतंकवादियों तक से वचन निभाने की परंपरा रही है फिर एन्डरसन कोई न तो आतंकवादी था न फरार। ऐसी स्थिति में उसे धोखा देकर भारत में बुलाना और रोक लेना पता नहीं किस आधार पर उचित समझा जा रहा है। न तो ऐसी हमारी परंपरा रही है न ही राजनैतिक विश्वसनीयता। पता नहीं कांगेस पार्टी क्यों नहीं साफ करती है। कांग्रेस पार्टी का खेल तो और भी चकित करने वाला है। उसने एन्डरसन को भारत बुलाकर और वापस भेजकर कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे वह शर्मिन्दा हो। असत्य को आधार बनाकर उबल रही जनभावना के समक्ष सच बोलने का साहस न होना हमारे लिये चिन्ता का विषय हैं। कांग्रेस पार्टी असत्य का मुकाबला सत्य से न करके मुआवजा से करना चाहती है जो गलत परंपरा हैं।

आनन्द गुप्त, अम्बिकापुर

प्रश्न– मै आपका प्रशंसक रहा हूॅ । मैने आपके विचारों को आधार बनाकर मुनि मंथन पुस्तक भी लिखी हैं। आप हमेशा ही गरीबों, ग्रामीणों, श्रमजीवियों के पक्ष मे अमीरों, बुद्धिजीवियों, शहरी लोगों का विरोध करते रहे हैं। आप आर्थिक असमानता के भी विरूद्ध रहे हैं। आज एन्डरसन का पक्ष लेकर आपने जो लिखा वह आपकी अब तक की सोच के विपरीत दिखता हैं। युनियन कार्बाइड या उसके प्रवंधक एन्डरसन के प्रति सम्पूर्ण भारत में एक मत से विरोध की लहर छाई हैं । आप अकेले उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करें, इसका आधार क्या है? आप इसे और स्पष्ट करें।

उत्तर– मुनि मंथन पुस्तक में आपने गरीब ग्रामीण श्रमजीवी के पक्ष में मेरे विचार लिखे उस पर मै आज भी कायम हूँ । आर्थिक विषमता कम होनी ही चाहिये । श्रम और बुद्धि के बीच का अंतर भी घटना ही चाहिये। विषमता घटने का अर्थ है गरीब वर्ग की औसत आय का बढ़ना तथा सम्पन्नों की औसत आय का घटना। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि किसी एक सम्पन्न की अन्याय पूर्वक आर्थिक स्थिति कमजोर करना । एन्डरसन के साथ सरासर अन्याय किया जा रहा हैं, जो न हमारी भारतीय परंपरा है न होनी चाहिये। भोपाल गैस प्रकरण को भावनात्मक मुद्दा बनाकर देश मे उबाल पैदा करना घातक परंपरा है। इस संबंध में आज जो भी टीवी या अखबारों मे पढ़ सुन रहे है उसमें जान बुझकर कई बातें छुपाई गई हैं। जिस दिन की दुर्घटना है उस दिन तो एन्डरसन अमेरिका में था। किसी के आश्वासन पर एन्डरसन भारत आया था । यहॉ उस पर आपराधिक मुकदमा हो गया तो आश्वासन के आधार पर उसे जमानत देकर भेज दिया गया।

कुछ वर्ष बाद युनियन कार्बाइड कम्पनी पर अमेरिका मे भारत सरकार ने मुकदमा किया जिसमें सैतालीस करोड डालर अर्थात सत्रह अरब रूपया कम्पनी से लेकर समझौता हुआ । यह समझौता नवासी में हुआ। इधर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष दो हजार चार मे पंद्रह अरब रूपया अलग से मुआवजा देने का भारत सरकार को आदेश दिया । फिर भी कम्पनी का पिण्ड नही छुटा और कोर्ट ने कम्पनी की सम्पत्ति जप्त कर ली । बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उक्त सम्पत्ति से भोपाल में एक बहुत बडा अस्पताल बनवा दिया । इतना सब कुछ होने के बाद भी केस चलता रहा जिसमें आठ लोगों को दो दो वर्ष की सजा हुई। दुनिया मे कहीं भी सजा अपराध की प्रकृति और नीयत को आकलन करके ही होती है, क्षति का आकलन करके नहीं । भारत मे युनियन कार्बाइट कम्पनी तथा एन्डरसन केस में सजा को क्षति के साथ जोड कर देखा जा रहा है। जिस भारत मे सन चौरासी के दंगे में चुन चुन कर हजारों हत्याऍ की गई उनके लिये मापदण्ड एन्डरसन और युनियन कार्बाइट कम्पनी से विल्कुल विपरीत क्यों? यदि कोई व्यक्ति विदेशी है या कम्पनी विदेशी है तो हम उसके साथ व्यवहार मे कोई अलग मापदण्ड तय नही करेगें ? यदि हमारे देश के लोग इतने ही संवेदनशील है तो अपनी ओर से राहत की बात क्यो नही सोचते । भोपाल गैस पीडितो की सहायता का सजा से क्या रिश्ता है। यदि हम एन्डरसन को फांसी पर भी चढा दे तो गैस पीडितो को क्या राहत मिलने वाली है । कुल मिलाकर आप पूरी गंभीरता से सोचेगे तो पायेंगे कि इस प्रकरण के पीछे दो समूहों का छिपा स्वार्थ है (1) भारतीय राजनेताओं का (2) परजीवियों का। आशा है कि आप दोनो के स्वार्थ पर विचार करेंगे।

प्रिय मित्र,

आप ज्ञान तत्व के माध्यम से मेरे विचार लम्बे समय से पढ़ते रहे हैं। आप सबने लगातार मुझे प्रोत्साहित भी किया है। मैं आप सब का आभारी हूँ।

अब हम साथियों ने मिलकर 'काश इन्डिया.काम www.kaashindia.com नाम से वेवसाइट भी चालू कर दी है जिससे नये सम्पर्क भी बनें तथा सक्षम पाठकों को शीघ्र प्रश्नोत्तर भी सुलभ हो सके।

काश इन्डिया में कुल सात पेज हैं। **पहला पेज होम पेज है** जिसमें तात्कालिक विषयों पर मेरी या आपकी गंभीर टिप्पणियॉ प्रकाशित होती है। इसी पृष्ठ में आप किसी भी सामाजिक राजनीति से जुड़े विषय पर कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। आपको यथा शीघ्र उत्तर देने की व्यवस्था की गई है। विषय चाहे धार्मिक, आर्थिक, संवैधानिक या अन्य हो किन्तु सामाजिक राजनैतिक हो तो अच्छा होगा। आप मेरे उत्तर पर कोई प्रति प्रश्न भी कर सकते हैं। उत्तर जायेगा।

पृष्ठ दो मैग्जीन से संबंधित है। इसमें मेरे लिखें गये विचार जो ज्ञानतत्व में प्रकाशित हैं या पुस्तक रूप में हैं वे संकलित हैं। ज्ञान तत्व के सभी उपलब्ध अंक इसमें डाले जा रहे हैं। बीच के कुछ अंक उपलब्ध नहीं हैं। किन्हीं पाठक के पास सुरक्षित हों तो सूचित करियेगा। आगे के अंक भी लगातार इस पृष्ठ में शामिल होते रहेंगे। आपको यदि पोस्ट से न मिले या विलम्ब हो तो आप वेवसाइट खोलकर देखने की आदत डालें। यदि आप प्रतिदिन कुछ समय तक काश इंडिया से जुड़ सकें तो और भी अच्छा होगा। ये विचार स्थानीय समस्याओं से लेकर विश्व स्तरीय समस्याओं तक के हैं। हम इस पृष्ठ में ऐसा साहित्य धीरे धीरे दो माह में पूरा डाल रहे हैं।

पृष्ठ तीन में कार्यक्रम संबंधी वीडीओं चित्र डाले जायेगें।

पृष्ठ चार में हमारी तात्कालिक गतिविधियों का कैलेन्डर रहेगा। किस तारीख को किस जगह क्या कार्यक्रम होना है वह आप देख सकते हैं।

पाचवें पृष्ठ पर हमारी अनेक कविताऍ डाली जा रही हैं।

छठवें पृष्ठ पर विचारों के आदान प्रदान की व्यवस्था कर रहे हैं। तथा **सातवें पृष्ठ** पर हमसे सम्पर्क के लिये आप अपना नाम पता तथा विवरण भेज सकते हैं।

काश इन्डिया का किसी प्रकार का धार्मिक, साहित्यिक, राजनैतिक या आर्थिक उद्धेश्य न है न रहेगा। हम तो सामाजिक राजनीति से जुड़े विभिन्न विषयों पर स्वस्थ विचार मंथन तक सीमित हैं। हम किन्हीं निश्चित विचारों का प्रचार भी नहीं कर रहे क्योंकि वर्तमान समय में मंथन रहित विचार प्रचार समाज की गंभीर समस्या बना हुआ है। पूरी दुनिया में असत्य को सत्य के समान स्थापित किया जा रहा है जो घातक रूप ग्रहण कर चुका है। हम ऐसे विश्वस्तरीय असत्य प्रचार को विचार मंथन के माध्यम से चुनौती देंगें। जब सत्य और असत्य के बीच मंथन होगा तब निश्चित ही सत्य उपर आयेगा। इससे कई समस्याऍ अपने आप सुलझ जायेंगी। ऐसे विचार मंथन में आपके विचार, प्रश्न और टिप्पणियॉ बहुत सहायक होंगी। हम भी आपके विचार , प्रश्न या टिप्पणियों के साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयास करेंगे।

हम चाहेंगे कि आप निःसंकोच प्रश्न करें। मेरी या अन्य पाठकों की भावनाऍ आहत होंगी इसकी चिन्ता न करें क्योंकि निकम्मे लोगों की भावनाऍ जल्दी आहत होती हैं। इसकी चिन्ता आपको नहीं करनी हैं। आप खुले दिल से प्रश्न करिये जिससे हम भी उसी भाषा में आपको उत्तर दे सकें।

यदि आप अंग्रेजी में पढ़ना या लिखना चाहें तो आप ॅमइेपजम को पदजमतदमज मगचसवतमत की जगह हववहंस बतवउम मे चालू करें इसमें ट्रासलेशन की सुविधा है जिसमे आप ट्रान्सलेट कर लें जिससे आपको सुविधा हो। आप अंग्रेजी में भी प्रश्न कर सकते हैं।

हम स्वार्थी तत्वों द्वारा समाज में फैलाई जा रही विश्व स्तरीय धुंध को चुनौती देने में आपका सहयोग चाहते हैं । आप बड़ी संख्या में स्वयं जुड़े तथा अन्य मित्रों को जोड़े इसी अपेक्षा के साथ।

आपका
बजरंग मुनि
बनारस चौक अंबिकापुर,सरगुजा
छ0ग0 497220
मो0–09617079344,फोन–07774 230640

निवेदन

दिनांक पचीस दिसम्बर दो हजार आठ तक प्रयत्नों के बाद स्पष्ट हुआ कि हमे नये सिरे से योजना बनानी होगी । एक वर्ष तक उसकी तैयारी की गई तथा पचीस दिसम्बर नौ से रामानुजगंज के आसपास के एक सौ पचास गांवों मे नई समाज रचना का काम शुरू किया गया । नई समाज रचना के लिये ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया जिसके अंतर्गत पॉच कार्यो से शुरूआत की गईः–

(1) लोक स्वराज्य अर्थात लोक और तंत्र के बीच की दूरी कम करना

(2) वर्ग विद्वेष को वर्ग समन्वय मे बदलना । जाति, धर्म ,भाषा, उम्र, लिंग, गरीब–अमीर आदि के भेद . कम करना

(3) अहिंसक समाज रचना। किसी भी परिस्थिति में न हिंसा करना न प्रोत्साहित करना

(4) भ्रष्टाचार नियंत्रण । अपने गांव के पंच सरपंच सचिव को किसी भी तरह का भ्रष्टाचार न करने देना

(5) इस क्षेत्र को नो टैक्स जोन घोषित करने का शासन से निवेदन । इसमें इस क्षेत्र के नागरिको द्वारा अपनी भूमि पर पैदा उत्पादन तथा अपने उपयोग की वस्तुऍ पॉच वर्ष तक कर मुक्त, नियंत्रण मुक्त करने की शासन से मांग।

प्रत्येक गांव में पंद्रह व्यक्तियों की लोक समिति का गठन किया जा रहा है जो इन पॉच कार्यो को पूरा करने में ग्राम सभा की सहायता करेंगी। ग्राम सभा को महसूस कराया जायेगा कि वह सर्वोच्च है तथा तंत्र प्रबंधक है, मालिक नहीं ।

रामानुजगंज शहर में एक ज्ञान मंदिर नाम से माध्यमिक विधालय शुरू किया गया है जहॉ बच्चे को नये समाज के स्वरूप का ज्ञान कराया जायेगा।

पचीस दिसम्बर दो हजार दस को हमारे कार्य को एक वर्ष पूरा हो जायेगा ।

इस काल मे हम निम्नलिखित कार्य करेगें।

(1) ज्ञान तत्व विस्तार– पचीस दिसम्बर से एक जनवरी दो हजार ग्यारह तक के आठ दिनों तक रामानुजगंज शहर में ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है । इस आयोजन में ज्ञान तत्व विस्तार का कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः आठ बजे से शाम सात बजे तक चलता रहेगा। प्रतिदिन एक विषय पर विस्तृत विचार मंथन होगा। प्रतिदिन प्रातःकाल आधे घंटे का यज्ञ होगा। यज्ञ के बाद निर्धारित विषय पर विचार मंथन होगा। शाम पांच से सात प्रतिदिन उस विषय पर ज्ञान कथा होगी । विषय इस प्रकार होगें–

25/12– ज्ञान यज्ञ क्यो? इसके अंतर्गत ज्ञान और शिक्षा का फर्क ,आपातकाल की पहचान, आदि की चर्चा होगी। इसमें धर्म ,समाज, और राज्य का अंतर भी शामिल होगा।

26/12– लोक स्वराज्य क्या? क्यो?और कैसे?

27/12– अपराध नियंत्रण । इसके अंतर्गत आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, आदि की रोकथाम पर चर्चा होगी। नक्सलवाद नियंत्रण मे रामानुजगंज को मिली सफलता पर विशेष चर्चा होगी।

28/12– सामाजिक एकता मे वर्ग विद्वेष एव जातीय आरक्षण घातक और समाधान

29/12– हमारी आर्थिक समस्याएँ और समाधान

30/12– समाज में महिलाओं की स्थिति और हमारी परिवार व्यवस्था

31/12– नयी समाज संरचना में हमारा योगदान

1/1/11– समापन सत्र तथा आम सभा

(2) नयी समाज रचना सर्वेक्षण – इसके अंतर्गत हम व्यवस्था करेंगे कि हमारे बाहर से आये हुए विद्वान प्रतिदिन कुछ गांवो में जाकर स्वयं स्थिति का आकलन करें तथा हमें आगे के लिये मार्ग दर्शन दे। अपने विद्वान किन्ही भी गांवो मे स्वतंत्रता पूर्वक घूम घूम कर आकलन करेंगे । इस कार्य का पूरा संचालन ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान के संयोजक स्वराज्य बाबा उर्फ केशव चौबे जी के द्वारा किया जायेगा।

(3) ट्रस्ट की बैठक– इकतीस दिसम्बर को शाम चार बजे से ज्ञान यज्ञ परिवार ट्रस्ट की बैठक होगी।

(4) सहयोगी सहभागी संगठनों की बैठक – अन्य सहयोगी सहभागी संगठनो की बैठक 30/12 को होगी।

इस आठ दिवसीय ज्ञान यज्ञ में ज्ञान तत्व विस्तार के विषयो पर खुली गोलमेज चर्चा होगी। प्रत्येक विषय पर मेरा विस्तृत विचार ज्ञान तत्व के माध्यम से आपको जायेगा। उस विषय पर आप जो भी लिखेंगे वह प्रत्येक वक्ता को पूर्व मे ही भेज दिया जायगा जिससे प्रत्येक वक्ता अन्य वक्ताओ के विचारों को पूर्व में ही जान ले । इससे समय की बहुत बचत होगी।

प्रत्येक विषय पर एक दिन में तीन सत्र होगे। पहले सत्र में वक्ता को सात मिनट ,दूसरे सत्र में तीन मिनट तथा तीसरे सत्र में एक मिनट का समय मिलेगा जो मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर तक सीमित होगा। दोपहर आधे घंटे का भोजन का विशेष सत्र होगा । वैसे भोजन नास्ता हमेशा उपलब्ध रहेगा ही।

अन्य जानकारियॉ ज्ञान तत्व के माध्यम से उपलब्ध होती रहेगी। आप इस बहु उद्धेश्यीय ज्ञान यज्ञ में सादर आमंत्रित है। यदि किसी साथी को कठिनाई होगी तो आपके केन्द्र प्रभारी के सुझाव अथवा आपकी पूर्व सूचना पर हमारी स्वीकृति अनुसार आधा मार्ग व्यय भी दिया जा सकता है।

आशा है कि आप साथियों सहित अवश्य आवेंगे।

बजरंग मुनि